This is a digitally signed Gazette, to verify click here.
http://rajpatrahimachal.nic.in

# राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

## हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

**बुधवार, 03 सितम्बर, 2025 / 12 भाद्रपद, 1947**

**हिमाचल प्रदेश सरकार**

**हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय**

अधिसूचना

दिनांक, 1 सितम्बर, 2025

**संख्या वि0स0–विधायन–विधेयक / 1–130 / 2025.**––हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम–140 के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2025

(2025 का विधेयक संख्यांक 18) जो आज दिनांक 1 सितम्बर, 2025 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण को सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

हस्ताक्षरित / –
सचिव,
हि0प्र0 विधान सभा।

———————

2025 का विधेयक संख्यांक 18.

## रजिस्ट्रीकरण (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2025

खण्डों का क्रम

**खण्डः**

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।
2. धारा 2 का संशोधन।
3. धारा 15 का संशोधन।
4. धारा 16 का संशोधन।
5. धारा 21 का संशोधन।
6. धारा 28 का संशोधन।
7. धारा 32 का संशोधन।
8. धारा 32 क का संशोधन।
9. धारा 34 का संशोधन।
10. धारा 35 का संशोधन।
11. धारा 51 का संशोधन।
12. धारा 55 का संशोधन।
13. धारा 57 का संशोधन।
14. धारा 58 का संशोधन।
15. धारा 59 का संशोधन।
16. धारा 60 का संशोधन।
17. धारा 61 का संशोधन।
18. धारा 69 का संशोधन।
19. धारा 89 क का अंतःस्थापन।

———————

2025 का विधेयक संख्यांक 18.

## रजिस्ट्रीकरण (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2025

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश को लागू रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का अधिनियम संख्यांक 16) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक**।

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियम होः–

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.––**(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम रजिस्ट्रीकरण (हिमाचल प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 2025 है।

(2) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा, जो राज्य सरकार राजपत्र (ई–गजट), हिमाचल प्रदेश में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

**2. धारा 2 का संशोधन.––**रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा 2 में,–

(क) खण्ड (1) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :–

"(1) "आधार आधारित सत्यापन" से बायोमेट्रिक या अन्य इलेकट्रॉनिक माध्यम से आधार संख्या का उपयोग करके पहचान का प्रमाणीकरण अभिप्रेत है, जैसा कि आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) के अधीन अनुमोदित है ;";

(1क) ''अभिवर्णन" से वर्णित व्यक्ति का निवास–स्थान और वृद्धि, व्यापार, पंक्ति तथा उपाधि (यदि कोई हो) और यदि वह भारतीय है तो उसके पिता का नाम या जहां कि वह प्रायिक रूप से अपनी माता के पुत्र के रूप में वर्णित किया जाता है वहां उसकी माता का नाम, अभिप्रेत है;''

(ख) खण्ड (2) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:–

"(2) "पुस्तक" में पुस्तक का कोई भाग, किसी भी संख्या में कागज की शीटें, या इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखा गया अनुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख सम्मिलित है;

(2क) "डिजिटल इस्ताक्षर" के वही अर्थ होंगे जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 में उनके है ;";

(ग) खण्ड (4) के पश्चात् निम्नलिखित अन्तस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

"4क ''इलेक्ट्रॉनिक साधन'' या ''इलेक्ट्रॉनिक रूप से'' से ऐसी कोई विधि निर्दिष्ट है जिसमें ऑनलाइन पोर्टल, संचार नेटवर्क और मुद्रांकन के डिजिटल अनुप्रयोग सहित डिजिटल प्लेटफार्म अंतर्वलित है;";

(घ) खण्ड (5) के स्थान पर निम्नलिखत रखा जाएगा, अर्थात् :–

"(5) "पृष्ठांकन" और "पृष्ठांकित" से रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा या तो लिखित में या इलेक्ट्रॉनिक रूप में, रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रस्तुत किए गए दस्तावेज़ पर या इस अधिनियम के अधीन अनुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में की गई प्रविष्टि पर लागू होने वाली कोई रिकॉर्ड अभिप्रेत है;''; और

(ङ) खण्ड (9) के पश्चात् निम्नलिखित अतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,–

''(9क) ''विहित'' से धारा 69 के अधीन बनाए गए नियम अभिप्रेत है।''।

**3. धारा 15 का संशोधन.**––मूल अधिनियम की धारा 15 में ";" चिन्ह के स्थान पर ":" चिन्ह रखा जाएगा और तत्पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

"परन्तु यह कि मुद्रांकन इलेक्ट्रॉनिक साधन से किया जा सकेगा।"।

**4. धारा 16 का संशोधन.**––मूल अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

"(4) उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट पुस्तकों को सुरक्षित डिजिटल भंडारण के साथ, ऐसी रीति, जैसी विहित की जाए, में अतिरेकता और अनाधिकृत पहुंच से सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखा जा सकेगा।"।

**5. धारा 21 का संशोधन.**––मूल अधिनियम की धारा 21 में,–

(क) उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

"(1–क) स्थावर संपत्ति का विवरण रजिस्ट्रीकरण पोर्टल के साथ समेकित डिजिटल कैडस्ट्रल रिकॉर्ड या भौगोलिक सूचना प्रणालियों से भी प्राप्त किया जा सकेगा ।"।

(ख) धारा 4 के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

(5) रजिस्ट्रीकरण के लिए दस्तावेजों के साथ नक्शे और रेखांक डिजिटल रूप में इलेक्ट्रॉनिक रूप से भी प्रस्तुत किए जा सकेंगे।''।

**6. धारा 28 का संशोधन.**––मूल अधिनियम की धारा 28 के अंत में "।" चिन्ह के स्थान पर ":" चिन्ह रखा जाएगा और तत्पश्चात निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

"परंतु रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से भी प्रस्तुत किए जा सकेंगे ।"।

**7. धारा 32 का संशोधन.**––मूल अधिनियम की धारा 32 में विधमान उपबन्ध को (1) के रूप में संख्यांकित किया जाएगा और तत्पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

"(2) परंतु रजिस्ट्रीकरण के लिए दस्तावेजों की प्रस्तुति इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से भी की जा सकेगी।"।

**8. धारा 32क का संशोधन.**––मूल अधिनियम की धारा 32क के परंतुक के अंत में "।" चिन्ह के स्थान पर ":" चिन्ह रखा जाएगा और तत्पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

"परंतु यह और कि इस अधिनियम के अधीन इलेक्ट्रॉनिक रूप से रजिस्ट्रीकरण के लिए कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने वाला प्रत्येक व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिकमाध्यमों, जिसमें डिजिटल हस्ताक्षर, आधार–आधारित सत्यापन या ऐसी अन्य पद्धतियां जो विहित की जाएं सम्मिलित हैं, परंतु इन्हीं तक सीमित नहीं हैं, से पहचान और प्रमाणीकरण प्रदान करेगा। "।

**9. धारा 34 का संशोधन.**––मूल अधिनियम की धारा 34 में,–

(क) उप–धारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

''(2क) परंतु यह और कि निष्पादन की स्वीकृति के लिए उपस्थिति विडियो कॉन्फ्रेंसिंग या अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी की जा सकेगी ।"; और

(ख) उप–धारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :–

''(3क) परंतु यह और कि रजिस्ट्रीकरण अधिकारी त्रुटियों के सुधार के लिए दस्तावेजों को पक्षकारों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से वापस कर सकेगा और पक्षकार सुधारे गए दस्तावेजों को रजिस्ट्रीकरण के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से पुनः प्रस्तुत कर सकेंगे।''।

**10. धारा 35 का संशोधन.**––मूल अधिनियम की धारा 35 की उप–धारा (1) के खण्ड (ग) में, ''निष्पादन को स्वीकार कर लेता है'' शब्दों के पश्चात् ''अथवा'' शब्द अंतःस्थापित किया जाएगा, और तत्पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

''(घ) निष्पादन का प्रमाणीकरण, आधार–आधारति बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, डिजिटल हस्ताक्षर या ऐसी अन्य पद्धतियों जो विहित की जाएं के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया जा सकेगा।"।

**11. धारा 51 का संशोधन.**––मूल अधिनियम की धारा 51 की उपधारा (1) के अंत में, "।" चिन्ह के स्थान पर ":" चिन्ह रखा जाएगा और तत्पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

"परंतु इस उपधारा में वर्णित दस्तावेजों को नियमों द्वारा इलेकट्रॉनिक रूप में तैयार और अनुरक्षित किया जा सकेगा।"।

**12. धारा 55 का संशोधन.**––मूल अधिनियम की धारा 55 की उप–धारा (6) के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

"(7) उन्नत अन्वेषण और परस्पर संदर्भ (क्रॉस रेफरेंसिंग) क्षमताओं और पुनर्प्राप्ति कार्यक्षमता से समाविष्ट इस धारा में निर्दिष्ट सूचियाँ इलेक्ट्रॉनिक रूप से भी तैयार और अनुरक्षित की जा सकेंगी ।"।

**13. धारा 57 का संशोधन.**––मूल अधिनियम की धारा 57की उप–धारा (5) के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

"(6) रजिस्ट्रीकृत दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से, ऐसे निबंधन और शर्तें पर जो विहित की जाएं डिजिटल प्रमाणीकरण के साथ जारी की जा सकेंगी।"।

**14. धारा 58 का संशोधन.**––मूल अधिनियम की धारा 58 की उप–धारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

"(3) इस धारा में संदर्भित पृष्ठांकन, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा डिजिटल रूप से भी तैयार और हस्ताक्षरित किए जा सकेंगे जिसमें दस्तावेज की विशिष्ट रजिस्ट्रीकरण संख्या, समय स्टाम्प और कोई ऐसे अन्य विवरण जो विहित किए जाएं भी सम्मिलित होंगे ।"।

**15. धारा 59 का संशोधन.**––मूल अधिनियम की धारा 59 के अन्त में "।" चिन्ह के स्थान पर ":" चिन्ह रखा जाएगा, और तत्पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

"परंतु इस धारा में संदर्भित पृष्ठांकन को रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा डिजिटल रूप से तैयार और हस्ताक्षरित भी किया जा सकेगा जिसमें प्रमाणपत्र या पृष्ठांकन विशिष्ट रजिस्ट्रीकरण संख्या और डिजिटल समय स्टाम्प तथा कोई अन्य विवरण जो विहित किए जाएं भी सम्मिलित होंगे ।"।

**16.** धारा 60 का संशोधन.––मूल अधिनियम की धारा 60 की उप–धारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

"(3) इस धारा में विनिर्दिष्ट पृष्ठांकन और प्रमाण पत्र रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा डिजिटल रूप में तैयार और हस्ताक्षरित किया जा सकेगा। रजिस्ट्रीकरण के साक्ष्य के रूप में दस्तावेज पर एक विशिष्ट रजिस्ट्रीकरण संख्या, डिजिटल समय स्टाम्प और अन्य ब्यौरे, जैसे विहित किए जाएं, संयोजित करेगा और रजिस्ट्रीकृत दस्तावेज को डिजिटल डेटाबेस में सुरक्षित रूप से संग्रहीत किया जाएगा ।"।

**17. धारा 61 का संशोधन.**––मूल अधिनियम की धारा 61 की उप–धारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

"(1क) इस धारा के अधीन की गई प्रत्येक प्रविष्टि डिजिटल डाटाबेस अनुरक्षित रजिस्टर में इलेक्ट्रॉनिक रूप से संपूर्ण की जा सकेगी।

(1ख) इलेक्ट्रॉनिक प्रविष्टि में दस्तावेज के लिए विशिष्ट पहचानकर्ता, समय स्टाम्प और कोई ऐसे अन्य विवरण, जो विहित किए जाएं, भी सम्मिलित होंगे ।"।

**18. धारा 69 का संशोधन.**––मूल अधिनियम की धारा 69 की उप–धारा (1) में,–

(क) खण्ड (झ) में, ''तथा'' शब्द का लोप किया जाएगा; और

(ख) खण्ड (ञ) के पश्चात "।" चिन्ह के स्थान पर ":" चिन्ह रखा जाएगा, और तत्पश्चात निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

"(ट) दस्तावेजों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा प्रस्तुत करते समय दस्तावेजों की प्रस्तुति, स्वीकृति के लिए हाजिरी, पृष्ठांकन, हस्ताक्षर और मुद्रांकन की रीति, रजिस्ट्रीकरण शुल्क और अन्य शुल्क के संदाय की पद्धति, सुरक्षित डिजिटल डाटाबेस का अनुरक्षण, प्रमाणित डिजिटल प्रतियां जारी करना तथा समस्त आनुषंगिक मामलों और प्रक्रियाओं को विनियमित करना; और

(ठ) कोई अन्य विषय जिस पर नियम बनाए जाने अपेक्षित है।''।

**19. धारा 89क का अंतस्थापन.**––मूल अधिनियम की धारा 89 के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

**"89 क. आदेशों, प्रमाणपत्रों और लिखतों की प्रतियों का प्रेषण और अनुरक्षण.**–(1) स्थावर संपत्ति में किसी अधिकार, हक या हित को प्रभावित करने वाली कोई डिक्री, आदेश, प्रमाण–पत्र या लिखत पारित करने वाला प्रत्येक न्यायालय या जारी करने वाला अधिकारी ऐसी डिक्री, आदेश, प्रमाण–पत्र या लिखत की प्रमाणिक इलेक्ट्रॉनिक प्रतिलिपि उस रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को भेजेगा जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर संपत्ति पूर्णतः या उसका कोई भाग अवस्थित है।

(2) रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ऐसी इलेक्ट्रॉनिक प्रतियों को रजिस्ट्रीकरण कार्यालय के इलेक्ट्रॉलिक अभिलेखों के साथ एकीकृत सुरक्षित डिजिटल डाटाबेस में फाइल और अनुरक्षित करेगा।

(3) डेटा सुरक्षा, गोपनीयता और अधिकृत उपयोग सुनिश्चित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक अभिलखों तक पहुंच को ऐसी रीति, जो विहित की जाए, में विनियमित किया जाएगा।

(4) इस अधिनियम के अधीन स्थावर संपत्ति में किसी अधिकार, हक या हित को प्रभावित करने वाले किसी दस्तावेज के रजिस्ट्रीकरण पर, संव्यवहार का ब्यौरा नियमों द्वारा विहित अनुसार स्वचालित रूप से एकीकृत भूमि अभिलेख प्रणाली को प्रेषित कर दिया जाएगा।"।

## उद्देश्यों और कारणों का कथन

रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 उस समय अधिनियमित किया गया था जब दस्तावेजों के रजिस्ट्रीकरण केवल भौतिक और मैनुअल रूप में निष्पादित किया जाता था। प्रौद्योगिकी में प्रगति तथा व्यवसाय की सुगमता के बढ़ते महत्त्व को ध्यान में रखते हुए, अब यह आवश्यक हो गया है कि ऑनलाइन एवं पेपरलेस रजिस्ट्रीकरण हेतु भौतिक उपस्थिति की अपेक्षा के बिना एक व्यापक विधिक ढांचा उपबंधित किया जाए। प्रस्तावित संशोधनों द्वारा दस्तावेजों की इलेक्ट्रॉनिक प्रस्तुति, आधार–आधारित अधिप्रमाणीकरण, डिजिटल हस्ताक्षरों का उपयोग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थिति तथा इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों के अनुरक्षण का उपबंध किया गया है। ये उपाय रजिस्ट्रीकृत दस्तावेजों की सुरक्षा, पारदर्शिता और विधिक वैधता सुनिश्चित करने के साथ–साथ समय, लागत और असुविधा को कम करने पर लक्षित है। अतः पूर्वोक्त अधिनियम में संशोधन किया जाना आवश्यक हो गया है।

यह अधिनियम उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

**(जगत सिंह नेगी)**
प्रभारी मंत्री।

शिमलाः
तारीखः ....., 2025

———————

## वित्तीय ज्ञापन

–शून्य–

———————

## प्रत्यायोजित विधान संबंधी ज्ञापन

विधेयक के खण्ड 8, 10, 13, 14, 15, 16, 17 और 19 राज्य सरकार को इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बनाने हेतु सशक्त करते हैं। शक्तियों का प्रस्तावित प्रत्यायोजन अनिवार्य और सामान्य स्वरूप का है।

———————

## रजिस्ट्रीकरण (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2025

हिमाचल प्रदेश को यथा लागू रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का अधिनियम संख्यांक 16) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक**।

**(जगत सिंह नेगी)**
प्रभारी मन्त्री।

———————

**(शरद कुमार लगवाल)**
प्रधान सचिव विधि।

शिमलाः
तारीख....., 2025

*AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT*

**Bill No. 18 of 2025.**

# THE REGISTRATION (HIMACHAL PRADESH AMENDMENT) BILL, 2025

ARRANGEMENT OF CLAUSES

***Clauses:***

1. Short title and commencement.
2. Amendment of section 2.
3. Amendment of section 15.
4. Amendment of section 16.
5. Amendment of section 21.
6. Amendment of section 28.
7. Amendment of section 32.
8. Amendment of section 32A.
9. Amendment of section 34.
10. Amendment of section 35.
11. Amendment of section 51.
12. Amendment of section 55.
13. Amendment of section 57.
14. Amendment of section 58.
15. Amendment of section 59.
16. Amendment of section 60.
17. Amendment of section 61.
18. Amendment of section 69.
19. Insertion of section 89A.

---

**Bill No. 18 of 2025.**

**THE REGISTRATION (HIMACHAL PRADESH AMENDMENT) BILL, 2025**

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

*further to amend the Registration Act, 1908 (Act No.16 of 1908) in its application to the Himachal Pradesh.*

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy-sixth Year of the Republic of India as follows:—

**1. Short title and commencement.—**(1) This Act may be called the Registration (Himachal Pradesh Amendment) Act, 2025.

(2) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh appoint.

**2. Amendment of section 2.—**In section 2 of the Registration Act, 1908 (hereinafter referred to as the "principal Act"),—

(a) for clause (1), the following shall be substituted, namely:—

"(1) "Aadhaar-based Verification" refers to the authentication of identity using the Aadhaar number through biometric or other electronic means, as approved under the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2018) ;

(1A) "Additional" means place of residence, and the profession, trade, rank and title (if any) of a person described, and, in the case of an Indian, his father's name, or where he is usually described as the son of his mother, then his mother name;";

(b) for clause (2), the following shall be substituted, namely:—

"(2) "Book" includes a portion of a book, any number of sheets of paper, or a secure electronic record maintained in digital or electronic form for the purposes of this Act ;

(2A) "Digital Signature" shall have the same meaning as assigned to it in the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000) ;";

(c) after clause (4), the following shall be inserted, namely:—

"(4A) "electronic means" or "electronically" refers to any method involving the use of electronic systems like online portals, communication networks, and digital platforms including digital application of seals ;";

(d) for clause (5), the following shall be substituted, namely:—

"(5) "endorsement" and "endorsed" include and apply to an entry by a registering officer, either in writing or in electronic form on a document presented for registration or in the electronic records maintained under this Act ;"; and

(e) after clause (9), the following shall be inserted, namely:—

"(9A) "prescribed" means prescribed by rules made under section 69.".

**3. Amendment of section 15.—**In section 15 of the principal Act, for the sign "." the sign ":" shall be substituted and thereafter the following shall be inserted, namely:—

"Provided that such seal may also be affixed by electronic means.".

**4. Amendment of section 16.—**In section 16 of the principal Act, after sub-section (3), the following shall be inserted, namely:—

"(4) The books specified under sub-section (1) may be maintained in electronic form in such manner as may be prescribed with secure digital storage, ensuring redundancy and protection from unauthorised access.".

**5. Amendment of section 21.—**In section 21 of the principal Act,—

(a) after sub-section (1), the following shall be inserted, namely:—

"(1A) The description of the immovable property may also be retrieved from digitised cadastral records on geographic information system integrated with the registration portal."; and

(b) after sub-section (4), the following shall be inserted, namely:—

"(5) Maps and plans accompanying documents for registration may also be submitted electronically in a digitised format.".

**6. Amendment of section 28.—**In section 28 of the principal Act, at the end for the sign "." , the sign ":" shall be substituted and thereafter the following shall be inserted, namely:—

"Provided that documents to be presented for registration may also be submitted through electronic means.".

**7. Amendment of section 32.—**In section 32 of the principal Act, the existing provision shall be numbered as (1) and thereafter the following shall be inserted, namely:—

"(2) The presentation of documents for registration may also be effected by electronic means.".

**8. Amendment of section 32A.—**In section 32A of the principal Act, at the end of the proviso, for the sign "." , the sign ":" shall be substituted and thereafter the following shall be inserted, namely:—

"Provided further that every person presenting any document for registration by electronic means under this Act shall provide identification and authentication through electronic means, including but not limited to digital signatures, Aadhaar-based verification, or such other methods, as may be prescribed.".

**9. Amendment of section 34.—**In the section 34 of the principal Act,—

(a) after sub-section (2), the following shall be inserted, namely:—

"(2A) The appearance for admission of execution may also be made through video conferencing or other electronic means."; and

(b) after sub-section (3), the following shall be inserted, namely:—

"(3A) The documents submitted to the registering officer through electronic means may be reverted to the parties for rectification of deficiencies and parties may re-submit the rectified documents electronically for registration.".

**10. Amendment of section 35.—**In section 35 of the principal Act, in sub-section (1), in clause (c), after the words and sign "the execution," the word "or" shall be inserted and thereafter, the following shall be insertered, namely:—

"(d) if the authentication of execution is conducted electronically through Aadhaar-based biometric authentication, digital signatures, or such other methods, as may be prescribed,".

**11. Amendment of section 51.—**In section 51 of the principal Act, at the end of sub-section (1), for the sign "." , the sign ":" shall be substituted and thereafter following shall be inserted, namely:—

"Provided that the documents mentioned in this sub-section may be prepared and maintained in the electronic form.".

**12. Amendment of section 55.—**In section 55 of the principal Act, after sub-section (6), the following shall be inserted, namely:—

"(7) Indexes referred to in this secction may also be prepared and maintained electronically, incorporating advanced search and cross-referencing capabilities and retrieval functionality.".

**13. Amendment of section 57.—**In section 57 of the principal Act, after sub-section (5), the following shall be inserted, namely:—

"(6) The certified copies of registered documents may be issued electronically through the portal, with digital authentication on such terms and conditions as may be prescribed.".

**14. Amendment of section 58.—**In section 58 of the principal Act, after sub-section (2), the following shall be inserted, namely:—

"(3) The endorsements referred to in this section may also be prepared and signed digitally by the registering officer which shall include the document's unique registration number, timestamp, and any such other details as may be prescribed.".

**15. Amendment of section 59.—**In section 59 of the principal Act, at the end for the sign ".", the sign ":" shall be substituted and thereafter the following shall be inserted, namely:—

"Provided that the endorsements referred to in this section may also be prepared and signed digitally by the registering officer which shall include the unique registration number and a digital timestamp, and any other details as may be prescribed.".

**16. Amendment of section 60.—**In section 60 of the principal Act, after sub-section (2), the following shall be inserted, namely:—

"(3) The endorsement and certificate referred to in this section may also be prepared and signed digitally by the registering officer who shall affix a unique registration number, digital timestamp and any other details as may be prescribed, to the document as proof of registration, and the registered document shall be securely stored in the digital database.".

**17. Amendment of section 61.—**In section 61 of the principal Act, after sub-section (1), the following shall be inserted, namely:—

"(1A) Every entry made under this section may be completed electronically in the register maintained in the digital database.

(1B) The electronic entry shall include a unique identifier for the document, a timestamp, and any such other details as may be prescribed.".

**18. Amendment of section 69.—**In section 69 of the principal Act, in sub-section (1), —

(a) in clause (i), the word "and" shall be omitted; and

(b) in clause (j), for the sign ".", the sign ";" shall be substituted and thereafter the following shall be inserted, namely:—

"(k) regulating the procedure for presentation of documents, appearance for admission, endorsement, manner of affixing signature and seal, mode of payment of registration fees and other fees, maintenance of secure digital databases, issuance of certified digital copies and all matters and processes incidental thereto, when the document is presented by electronic means; and

(l) any other matter on which rules are required to be made.".

**19. Insertion of section 89A.—**After section 89 of the principal Act, the following shall be inserted, namely:—

"**89A. Transmission and maintenance of copies of orders, certificates, and instruments.**—(1) Every court passing, or officer issuing, any decree, order, certificate, or instrument affecting any right, title, or interest in immovable property shall transmit a certified electronic copy of such decree, order, certificate or instrument to the registering officer within the local limits of whose jurisdiction the whole or any part of the property is situated.

(2) The registering officer shall file and maintain such electronic copies in a secure digital database integrated with the electronic records of the registration office.

(3) Access to electronic records shall be regulated in the manner as may be prescribed, to ensure data security, privacy, and authorised usage.

(4) Upon registration of any document affecting any right, title, or interest in immovable property under this Act, the details of the transaction shall be automatically transmitted to the integrated land records system, as prescribed by the rules.".

---

## STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Registration Act, 1908 was enacted at a time when registration of documents was carried out only in physical and manual form. With advancements in technology and the growing emphasis on ease of doing business, it has become necessary to provide a comprehensive legal framework for online and paperless registration without requiring physical presence. The proposed amendments seek to enable electronic submission of documents, Aadhaar-based authentication, use of digital signatures, appearance through video conferencing, and maintenance of electronic

records. These measures are aimed at reducing time, cost and inconvenience, while ensuring security, transparency and legal validity of registered documents.This has necessitated amendment in the Act *ibid*.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

**(JAGAT SINGH NEGI)**
*Minister-in-Charge.*

SHIMLA:
The …….. , 2025.

---

**FINANCIAL MEMORANDUM**

—NIL—

---

**MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION**

Clause 8, 10, 13, 14, 15, 16, 17 and 19 of the Bill seek to empower the State Government to make rules for carrying out the purposes of this Act. The proposed delegation of power is essential and normal in character.

---

**THE REGISTRATION (HIMACHAL PRADESH AMENDMENT) BILL, 2025**

A

BILL

*further to amend the Registration Act, 1908 (Act No.16 of 1908) in its application to the Himachal Pradesh.*

**(JAGAT SINGH NEGI)**
*Minister-in-Charge.*

**(SHARAD KUMAR LAGWAL)**
*Pr. Secretary (Law).*

SHIMLA:
The…… , 2025.

## हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

दिनांक, 1 सितम्बर, 2025

**संख्या वि0स0–विधायन–विधेयक / 1–123 / 2025.**––हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम–140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 13) जो आज दिनांक 1 सितम्बर, 2025 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण को सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

हस्ताक्षरित / –
सचिव,
हि0 प्र0 विधान सभा।

––––––––––

2025 का विधेयक संख्यांक 13.

## हिमाचल प्रदेश लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) विधेयक, 2025

खण्डों का क्रम

खण्डः

अध्याय–1

**प्रारम्भिक**

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।
2. परिभाषाएं।

अध्याय–2

**अनुचित साधन और अपराध**

3. अनुचित साधन।
4. अनुचित साधन के लिए षडयंत्र।
5. लोक परीक्षा आयोजित करने में व्यवधान।
6. अन्य अपराध।
7. परीक्षा केन्द्र से अन्यथा किसी अन्य परिसर का उपयोग लोक परीक्षा के लिए नहीं किया जाएगा।
8. सेवा प्रदाताओं और अन्य व्यक्तियों के संबंध में अपराध।

अध्याय–3

**अपराधों के लिए दण्ड**

9. संज्ञेय अपराध।
10. इस अधिनियम के अधीन अपराध के लिए दण्ड।
11. संगठित अपराध।

अध्याय–4

**जांच और अन्वेषण**

12. जांच करने के लिए सशक्त अधिकारी।

अध्याय–5

**प्रकीर्ण**

13. लोक परीक्षा प्राधिकरण के सदस्यों, अधिकारियों और कर्मचारियों का लोक सेवक होना।
14. किसी लोक सेवक द्वारा सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण।
15. इस अधिनियम के उपबन्धों का अन्य विधियों के अतिरिक्त होना।
16. अनुसूची में संशोधन करने की शक्ति।
17. नियम बनाने की शक्ति।
18. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति।
अनुसूची

———————

2025 का विधेयक संख्यांक 13.

## हिमाचल प्रदेश लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) विधेयक, 2025

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

लोक परीक्षाओं में अनुचित साधनों के निवारण और उनसे संबंधित तथा उनसे आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिए **विधेयक**।

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः–

अध्याय–1

**प्रारंभिक**

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.––**(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) अधिनियम, 2025 है।

(2) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा, जो राज्य सरकार, राजपत्र (ई–गजट) हिमाचल प्रदेश में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

**2. परिभाषाएं.––**(1) इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) ''अभ्यर्थी'' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे लोक परीक्षा में उपस्थित होने हेतु लोक परीक्षा प्राधिकरण द्वारा अनुमति प्रदान की गई है और इसके अन्तर्गत लोक परीक्षा में उसकी ओर से लेखक के रूप में कार्य करने के लिए कोई प्राधिकृत व्यक्ति भी सम्मिलित है;

(ख) ''संचार युक्ति'' का वही अर्थ होगा जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ज क) में इसके लिए समनुदेशित है।

(ग) ''सक्षम प्राधिकरण'' से राज्य सरकार का ऐसा विभाग अभिप्रेत है जो लोक परीक्षा के साथ प्रशासनिक रूप से संबद्ध है;

(घ) ''कम्प्यूटर नेटवर्क'', ''कम्प्यूटर संसाधन'', और ''कम्प्यूटर प्रणाली'' का वही अर्थ होगा जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 2 की उप–धारा (1) के खंड (ञ), खंड (ट) और खंड (ठ) में क्रमशः इनको समनुदेशित है;

(ङ) ''लोक परीक्षा का संचालन'' के अंतर्गत लोक परीक्षा का संचालन करने हेतु अपनाई जाने वाली सभी प्रक्रियाएं, आदेशिकाएं और क्रियाकलाप, जो विहित किए जाएं, सम्मिलित होंगे;

(च) ''संस्थान'', से लोक परीक्षा प्राधिकरण और ऐसे प्राधिकरण द्वारा नियुक्त सेवा प्रदाता से भिन्न कोई अभिकरण, संगठन, निकाय, व्यक्तियों का संघ, व्यावसायिक इकाई, कंपनी, भागीदारी या एकल स्वामित्व फर्म चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, अभिप्रेत है;

**स्पष्टीकरण.**–इस खंड के प्रयोजनों के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि "कंपनी" के अंतर्गत कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खंड (20) में यथा परिभाषित कोई कंपनी या सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 (2009 का 6) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ढ) में यथा परिभाषित कोई सीमित दायित्व भागीदारी फर्म भी सम्मिलित है;

(छ) "अधिसूचना" से, राजपत्र (ई–गजट) हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है और "अधिसूचना" पद का अर्थ तद्नुसार लगाया जाएगा;

(ज) "संगठित अपराध" से ऐसी विधि विरुद्ध गतिविधि अभिप्रेत है जो किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा किसी लोक परीक्षा के संबंध में अनुचित साधनों में संलिप्त होकर मिलीभगत और षडयंत्र के अनुसरण में या सदोष अभिलाभ हेतु सांझे हित को बढ़ाने के लिए कारित की जाए;

(झ) "सेवा प्रदाता से सहबद्ध व्यक्ति" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो ऐसे सेवा प्रदाता के लिए या उसकी ओर से सेवा प्रदान करे चाहे ऐसा व्यक्ति, यथास्थिति, ऐसे सेवा प्रदाता का कोई कर्मचारी या अभिकर्ता या सहायक है;

(ञ) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(ट) "लोक परीक्षा" से लोक परीक्षा प्राधिकरण द्वारा संचालित कोई परीक्षा अभिप्रेत है;

(ठ) "लोक परीक्षा प्राधिकरण" से अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट कोई प्राधिकरण अभिप्रेत है;

(ड) "लोक परीक्षा केन्द्र" से ऐसे परिसर अभिप्रेत हैं, जिनका लोक परीक्षा संचालित कराने के लिए उपयोग किए जाने हेतु सेवा प्रदाता द्वारा या अन्यथा, लोक सेवा प्रधिकरण द्वारा चयन किया जाता है और जिसके अंतर्गत अन्य के साथ कोई विद्यालय, कम्प्यूटर केन्द्र, संस्था, कोई भवन या उसका कोई भाग, भी सम्मिलित है और इसके अंतर्गत उसकी संपूर्ण परिधि तथा उससे संलग्न भूमि भी सम्मिलित है जिनका प्रयोग लोक परीक्षा के संचालन हेतु सुरक्षा और अन्य संबंधित कारणों हेतु किया जा सके; और

(ढ) "सेवा प्रदाता" से कोई अभिकरण, संगठन, निकाय, व्यक्तियों का संघ, व्यावसायिक इकाई, कंपनी, भागीदारी या एकल स्वामित्व फर्म, अभिप्रेत है जिसके अंतर्गत किसी कम्प्यूटर संसाधन या किसी सामग्री चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, की सहायता प्रदान करने हेतु इसके सहयुक्त, उप–ठेकेदार भी सम्मिलित हैं जो लोक परीक्षा के संचालन हेतु लोक परीक्षा प्राधिकरण द्वारा नियोजित किए गए हैं; और

(न) ''अनुसूची'' से इस अधिनियम से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है।

(2) उन शब्दों और पदों के जो इसमें प्रयुक्त हैं, किन्तु परिभाषित नहीं हैं और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन परिभाषित हैं के वही अर्थ होंगे जो उन विधियों में क्रमशः उनके हैं।

अध्याय–2

## अनुचित साधन और अपराध

**3. अनुचित साधन.**––लोक परीक्षा के संचालन से संबंधित अनुचित साधनों में किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह या संस्थानों द्वारा किया गया या कराया जाने वाला कोई कृत्य या लोप सम्मिलित होगा और जिसमें धनीय या सदोष अभिलाभ के लिए निम्नलिखित कृत्यों में से कोई कृत्य सम्मिलित होगा परंतु केवल इन्हीं तक प्रतिबंधित नहीं होगा–

(i) प्रश्नपत्र या उत्तर कुंजी या उसके किसी भाग को प्रकट करना;
(ii) प्रश्नपत्र या उत्तर कुंजी को प्रकट करवाने के लिए दूसरों के साथ भागीदारी करना;
(iii) प्राधिकार के बिना प्रश्नपत्र या ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन रिस्पांस शीट तक पहुंचना या उसे अपने कब्जे में लेना;
(iv) किसी लोक परीक्षा के दौरान किसी अनधिकृत व्यक्ति द्वारा एक या अधिक प्रश्नों का हल प्रदान करना;
(v) लोक परीक्षा में किसी भी अनधिकृत रीति से अभ्यर्थी की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहायता करना;
(vi) उत्तर पुस्तिकाओं के साथ छेड़छाड़ करना जिसमें ऑपटिकल मार्क रिकग्निशन रिस्पांस शीटें भी हैं;
(vii) किसी वास्तविक त्रुटि को सुधारने के सिवाय, बिना किसी प्राधिकार के मूल्यांकन में परिवर्तन करना;
(viii) लोक परीक्षा को स्वयं या अपने अभिकरण के माध्यम से संचालित कराने के लिए राज्य सरकार द्वारा स्थापित मानदंडों या मानकों का जानबूझकर उल्लंघन करना;
(ix) किसी लोक परीक्षा में अभ्यर्थी का लघु सूचीयन करने या किसी अभ्यर्थी की मेरिट या रैंक को अंतिम रूप दिए जाने के लिए किसी आवश्यक दस्तावेज के साथ छेड़छाड़ करना;
(x) किसी लोक परीक्षा के संचालन में अनुचित साधनों को सुकर बनाने के लिए सुरक्षा उपायों का जानबूझकर उल्लघंन करना;
(xi) कम्प्यूटर नेटवर्क या किसी कम्प्यूटर संसाधन या कम्प्यूटर प्रणाली के साथ छेड़छाड़ करना;
(xii) परीक्षा में अनुचित साधनों को अंगीकार करने को सुकर बनाने के लिए अभ्यर्थियों के बैठने की व्यवस्था, तारीखों और पालियों के आबंटन में हेर–फेर करना;
(xiii) लोक परीक्षा प्राधिकरण या सेवा प्रदाता या सरकार के किसी प्राधिकृत अभिकरण से संबद्ध व्यक्तियों के जीवन, स्वतंत्रता को खतरे में डालने के सदोष परिरोध करना या लोक परीक्षा के संचालन में बाधा डालना;
(xiv) धोखा देने या धनीय लाभ के लिए जाली वेबसाइट बनाना; और
(xv) धोखा देने या धनीय लाभ के लिए जाली परीक्षा संचालित करना, जाली प्रवेश पत्र या प्रस्ताव पत्र जारी करना।

**4. अनुचित साधन के लिए षडयंत्र**––कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह या संस्थाएं, ऐसे किन्हीं भी अनुचित साधनों में संलिप्तता को बढ़ावा देने के लिए मिलीभगत या षडयंत्र नहीं करेंगी।

**5. लोक परीक्षा आयोजित करने में व्यवधान.**––(1) ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसे लोक परीक्षा से संबंधित कोई कार्य या लोक परीक्षा को संचालित करवाने का कोई कार्य नहीं सौंपा गया है या उसमें नहीं लगाया गया है और जो अभ्यर्थी नहीं है, वह लोक परीक्षा के संचालन में व्यवधान डालने के आशय से परीक्षा केंद्र के परिसर में प्रवेश नहीं करेगा।

(2) लोक परीक्षा संचालित करवाने में अपने कर्त्तव्यों के आधार पर प्राधिकृत, लगा हुआ या न्यस्त कोई व्यक्ति, प्रश्नपत्रों को खोलने और वितरित करने के लिए नियत समय से पूर्व–

(क) धनीय या सदोष अभिलाभ के लिए अनधिकृत रीति में प्रश्नपत्रों को नहीं खोलेगा, लीक नहीं करेगा या अपने पास नहीं रखेगा या पहुँच नहीं बनाएगा या हल नहीं करेगा या ऐसे प्रश्नपत्र या इसके किसी भाग या इसकी प्रति को हल करने में किसी की सहायता नहीं लेगा;

(ख) किसी व्यक्ति को कोई गोपनीय सूचना नहीं देगा या ऐसी गोपनीय सूचना देने का वचन नहीं देगा, जहां ऐसी सूचना धनीय या सदोष अभिलाभ के लिए प्रश्नपत्र से संबंधित या संदर्भ में हो।

(3) कोई भी व्यक्ति, जो लोक परीक्षा से संबंधित कार्य में न्यस्त हो या लगाया गया हो, सिवाय जहां उसे अपने कर्त्तव्यों के आधार पर ऐसा करने हेतु प्राधिकृत किया गया है, ऐसी किसी भी सूचना या उसके किसी भाग, जो उसे इस प्रकार सौंपे जा रहे कार्य के नाते उसकी जानकारी में आई है, को अनुचित लाभ या सदोष अभिलाभ के लिए किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष न तो प्रकट करेगा, न ही प्रकट करना कारित करेगा और न ही इसका पता लगने देगा।

**6. अन्य अपराध.**––यदि कोई व्यक्ति, व्यक्तियों का समूह या संस्था धारा 3, धारा 4 और धारा 5 के अधीन किन्हीं अनुचित साधनों का प्रयोग करता है या अपराध करता है, तो सेवा प्रदाता तत्काल अपराध की रिपोर्ट संबद्ध पुलिस प्राधिकारियों को करेगा तथा लोक परीक्षा प्राधिकरण को भी सूचित करेगाः

परंतु यह कि यदि सेवा प्रदाता अनुचित साधनों का सहारा लेता है और अपराध करता है या अपराध सुकर बनाने में संलिप्त होता है, तो लोक परीक्षा प्राधिकरण संबद्ध पुलिस प्राधिकारियों को भी उसकी रिपोर्ट करेगा।

**7. परीक्षा केन्द्र से अन्यथा किसी अन्य परिसर का उपयोग लोक परीक्षा के लिए नहीं किया जायेगा.**––लोक परीक्षा प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत परीक्षा केन्द्र से अन्यथा लोक परीक्षा प्राधिकरण के लिखित अनुमोदन के बिना लोक परीक्षा आयोजित करने के प्रयोजन के लिए वैकल्पिक रूप से किसी अन्य परिसर का प्रयोग कारित करना, सेवा प्रदाता या सेवा प्रदाता से सहबद्ध किसी अन्य व्यक्ति के लिए अपराध होगाः

परंतु यह कि इस धारा में अंतर्विष्ट कोई बात अपराध नहीं होगी, जहां किसी अनिवार्य बाध्यता के कारण लोक परीक्षा प्राधिकरण की पूर्व सहमति के बिना परीक्षा केन्द्र में कोई परिवर्तन किया जाता है।

**8. सेवा प्रदाताओं और अन्य व्यक्तियों के संबंध में अपराध.**––(1) किसी व्यक्ति के संबंध में, जिसके अंतर्गत किसी सेवा प्रदाता से सहबद्ध व्यक्ति भी है, के संबंध में यह माना जाएगा कि उसने कोई अपराध किया है यदि वह व्यष्टिक रूप से या किसी अन्य व्यक्ति के साथ या व्यक्तियों के समूह के साथ या संस्थाओं के साथ मिलकर किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह या संस्थाओं की किसी लोक परीक्षा के संचालन में किसी अप्राधिकृत रीति में सहायता करता है।

(2) सेवा प्रदाता या उसके साथ सहबद्ध किसी व्यक्ति के विषय में यह माना जाएगा कि उसने कोई अपराध किया है, यदि वह किसी अनुचित साधन या किसी अपराध के करने की घटना की रिपोर्ट करने में असफल रहता है,

(3) जब कोई अपराध किसी सेवा प्रदाता द्वारा किया जाता है और किसी अन्वेषण के दौरान प्रथमदृष्टया यह साबित कर दिया जाता है कि वह किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या ऐसे सेवा प्रदाता के अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता के साथ किया गया है, तो ऐसा व्यक्ति भी उसके विरुद्ध कार्यवाही किए जाने का दायी होगाः

परंतु यह कि इस उप–धारा में अन्तर्विष्ट कोई भी बात, किसी ऐसे व्यक्ति को इस अधिनियम के अधीन किसी दंड का भागी नहीं बनाएगी, यदि वह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था और उसने ऐसे अपराध का निवारण करने के लिए सभी सम्यक् तत्परता बरती थी।

अध्याय–3

## अपराधों के लिए दंड

**9. संज्ञेय अपराध.**––इस अधिनियम के अधीन सभी अपराध संज्ञेय, अजमानती और अशमनीय होंगे।

**10. इस अधिनियम के अधीन अपराध के लिए दण्ड.**––(1) इस अधिनियम के अधीन अनुचित साधनों और अपराधों में संलिप्त व्यक्ति ऐसे कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम नहीं होगी किंतु जो पांच वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो दस लाख रुपये तक का हो सकेगा, से दंडित किया जाएगा। जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम की दशा में कारावास की अतिरिक्त अवधि भारतीय न्याय संहिता, 2023 (2025 का 45) के उपबन्धों के अनुसार अधिरोपित की जाएगी।

(2) सेवा प्रदाता एक करोड़ रुपये तक के जुर्माने के अधिरोपण से भी दंडनीय होगा और परीक्षा की समानुपातिक लागत को भी ऐसे सेवा प्रदाता से वसूल किया जाएगा और वह कोई लोक परीक्षा संचालित करने के लिए किसी उत्तरदायित्व के सौंपे जाने पर चार वर्ष की अवधि के लिए रोक दिया जाएगा।

(3) जहां अन्वेषण के दौरान यह साबित कर दिया जाता है कि इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध सेवा प्रदाता फर्म के किसी निदेशक, ज्येष्ठ प्रबंधन या उसके भारसाधक व्यक्तियों की सहमति या मौनानुकूलता से कारित किया गया है, वह ऐसे कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो दस वर्ष तक की हो सकेगी और एक करोड़ रुपये के जुर्माने का भी दायी होगा। जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम की दशा में कारावास की अतिरिक्त अवधि भारतीय न्याय संहिता, 2023 (2023 का 45) के उपबन्धों के अनुसार अधिरोपित की जाएगी।

(4) इस धारा में अंतर्विष्ट कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को अधिनियम के अधीन किसी दंड का दायी नहीं ठहराएगी यदि वह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना कारित किया गया था और उसने ऐसे अपराध को कारित होने से निवारित करने के लिए सभी सम्यक् तत्परता बरती थी।

**11. संगठित अपराध.**––(1) यदि कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह जिसके अंतर्गत परीक्षा प्राधिकरण या सेवा प्रदाता या कोई अन्य संस्था भी है, कोई संगठित अपराध कारित करता है तो वह ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष से कम नहीं होगी किंतु जो दस वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माना, जो एक करोड़ रुपये से कम नहीं होगा, दंडित किया जाएगा। जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम की दशा में कारावास की अतिरिक्त अवधि भारतीय न्याय संहिता, 2023 (2023 का 45) के उपबंधों के अनुसार अधिरोपित की जाएगी।

(2) यदि संस्था किसी संगठित अपराध को कारित करने में अंतर्वलित पाई जाती है तो उसकी संपत्ति कुर्की और समपहरण के अध्यधीन होगी और इसके अतिरिक्त, परीक्षा की समानुपातिक लागत भी उससे वसूल की जाएगी।

अध्याय–4

## जांच और अन्वेशण

**12. जांच करने के लिए सशक्त अधिकारी.––**(1) इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का अन्वेषण, कोई अधिकारी, जो पुलिस उप–अधीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो, करेगा।

(2) उप–धारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार को किसी अन्वेषण अभिकरण अन्वेषण को निर्दिष्ट करने की शक्तियां होगी।

अध्याय–5

## प्रकीर्ण

**13. लोक परीक्षा प्राधिकरण के सदस्यों, अधिकारियों और कर्मचारियों का लोक सेवक होना.––**लोक परीक्षा प्राधिकरण का अध्यक्ष, सदस्य, अधिकारी और अन्य कर्मचारी जब वह इस अधिनियम के किसी भी उपबन्ध के अनुसरण में कार्य कर रहे हैं या कार्य करने के लिए तात्पर्यित हैं, को भारतीय न्याय संहिता, 2023 (2023 का 45) के अन्तर्गत लोक सेवक समझा जाएगा।

**14. किसी लोक सेवक द्वारा सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण.––**इस अधिनियम के किसी उपबंध के अनुसरण में अपने आधिकारिक कार्यों के निर्वहन में सद्भावपूर्वक की गई या किए जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई वाद या अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही किसी लोक सेवक के विरुद्ध नहीं होगीः

परंतु यह कि किसी लोक परीक्षा प्राधिकरण की सेवा में लोक सेवक ऐसी लोक परीक्षा प्राधिकरण के सेवा नियमों के निबंधनों में प्रशासनिक कार्रवाई के अधीन होंगेः

परंतु यह और कि, कोई भी बात ऐसे लोक सेवकों के विरुद्ध कार्यवाही करने से निवारित नहीं करेगी जहां प्रथमदृष्ट्या इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध कारित करने का मामला विद्यमान होता है।

**15. इस अधिनियम के उपबंधों का अन्य विधियों के अतिरिक्त होना.––**इस अधिनियम के उपबंध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अतिरिक्त होंगे न कि उसके अल्पीकरण मेंः

परंतु, इस अधिनियम के उपबंधों का तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या किसी लिखत जिसका विधि का बल होने के नाते प्रभाव है, में अंतर्विष्ट किसी असंगत बात के होते हुए भी प्रभाव होगा।

**16. अनुसूची में संशोधन करने की शक्ति.––**राज्य सरकार राजपत्र (ई–गज़ट) हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा, अनुसूची को संशोधित कर सकेगी या अनुसूची की प्रविष्टियों में परिवर्तन कर सकेगी।

**17. नियम बनाने की शक्ति.––**(1) राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए, राजपत्र (ई–गजट), हिमाचल प्रदेश में अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबन्ध कर सकेंगे; अर्थात्:–

(क) लोक परीक्षा का संचालन करने के लिए अंगीकृत किए जाने के लिए प्रक्रियाएं, प्रोसेसज, कार्यकलाप अधिकथित करना।

(ख) कोई अन्य विषय, जो विहित किया गया है या विहित किया जाए।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, विधान सभा के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल दस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी और यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के सत्रावसान के पूर्व विधान सभा उस नियम में कोई परिवर्तन करती है या विनिश्चय करती है कि नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो ऐसे नियम ऐसे उपान्तरित रूप में ही, यथास्थिति प्रभावी होंगे या निष्प्रभाव हो जाएंगे। तथापि नियम के ऐसे किसी उपान्तरण या वातिलीकरण होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

**18. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति.**—(1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार राजपत्र (ई–गजट) हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो, जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समाचीन प्रतीत हो:

परंतु यह कि इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दो वर्ष के अवसान के पश्चात् इस धारा के अधीन कोई ऐसा आदेश जारी नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, राज्य विधान सभा के समक्ष रखा जाएगा।

अनुसूची

[धारा–2 (ठ) को देखें]

निम्नलिखित द्वारा संचालित कोई परीक्षाः–

1. हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग, शिमला।

2. हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग, हमीरपुर।

———————

## उद्देश्यों और कारणों का कथन

लोक परीक्षाओं में कदाचार प्रायः विलम्ब या रद्दकरण में परिणामित होता है; जिससे लाखों युवा अभ्यर्थियों का भविष्य धूमिल हो जाता है। वर्तमानतः, राज्य सरकार और इसके अभिकरणों द्वारा लोक परीक्षाओं के संचालन में अन्तर्वलित व्यक्तियों, समूहों या संस्थानों द्वारा किए गए अनुचित साधनों के उपयोग या अपराधों के व्यापक शमन हेतु कोई भी विनिर्दिष्ट स्थायी विधि उपलब्ध नहीं है। इसलिए ऐसी विनाशकारी प्रक्रियाओं की पहचान करना और उनका एक व्यापक राज्य विधान के माध्यम से प्रभावी रूप से निवारण करना आवश्यक हो गया है।

इस विधेयक का उद्देश्य लोक परीक्षा प्रणाली में अत्यधिक पारदर्शिता, सटीकता और विश्वास सुनिश्चित करना तथा युवाओं को यह सुनिश्चित करवाना है कि उनके वास्तविक प्रयासों की समयक् रूप से पहचान की जाएगी और उनका भविष्य सुरक्षित रखा जाएगा। यह विधेयक ऐसे व्यक्तियों, संगठित समूहों और

संस्थानों, जो लोक परीक्षाओं की सत्यता को धनीय या अन्य अनुचित लाभ हेतु हतोत्साहित करते हैं, के अनैतिक व्यवहारों में सम्मिलित होने से उन्हें भयोपराधी बनाने हेतु एक कठोर विधिक संरचना अधिनियमित करने की पूर्ति के लिए है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

**(सुखविंदर सिंह सुक्खू)**
मुख्य मन्त्री।

शिमला :
तारीखः ....., 2025

———————

## वित्तीय ज्ञापन

–शून्य–

———————

## प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

विधेयक का खंड 16 और 17 राज्य सरकार को इस अधिनियम के उपबन्धों के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बनाने हेतु सशक्त करता है। शक्तियों का प्रस्तावित प्रत्यायोजन अनिवार्य और सामान्य स्वरूप का है।

———————

## हिमाचल प्रदेश लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) विधेयक, 2025

लोक परीक्षाओं में अनुचित साधनों के निवारण और उनसे संबंधित तथा उनसे आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने लिए **विधेयक**।

**(सुखविंदर सिंह सुक्खू)**
मुख्य मन्त्री।

———————

**(शरद कुमार लगवाल)**
प्रधान सचिव (विधि)।

शिमलाः
तारीखः....., 2025.

*AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT*

**Bill No. 13 of 2025.**

# THE HIMACHAL PRADESH PUBLIC EXAMINATIONS (PREVENTION OF UNFAIR MEANS) BILL, 2025

ARRANGEMENTS OF CLAUSES

***Clauses :***

CHAPTER-I

**PRELIMINARY**

1. Short title and commencement.
2. Definitions.

CHAPTER-II

**UNFAIR MEANS AND OFFENCES**

3. Unfair means.
4. Conspiracy for unfair means.
5. Disruption to conduct public examination.
6. Other offences.
7. No premises other than examination centre shall be used for public examination.
8. Offences in respect of service providers and other persons.

CHAPTER-III

**PUNISHMENT FOR OFFENCES**

9. Cognizable offences.
10. Punishment for offences under this Act.
11. Organised crimes.

CHAPTER-IV

**INQUIRY AND INVESTIGATION**

12. Officers empowered to investigate.

CHAPTER-V
**MISCELLANEOUS**

13. Members, officers and employees of public examination authority to be public servants.
14. Protection of action taken in good faith by any public servant.
15. Provisions of this Act to be in addition to other laws.
16. Power to amend THE SCHEDULE.
17. Power to make rules.
18. Power to remove difficulties.

THE SCHEDULE

**Bill No. 13 of 2025.**

# THE HIMACHAL PRADESH PUBLIC EXAMINATIONS (PREVENTION OF UNFAIR MEANS) BILL, 2025

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

*to prevent unfair means in the public examinations and to provide for matters connected therewith or incidental thereto.*

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy-sixth Year of the Republic of India as follows:—

## CHAPTER-I

## PRELIMINARY

**1. Short title and commencement.—**(1) This Act may be called the Himachal Pradesh Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Act, 2025.

(2) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification published in the Rajpatra (e-Gazette) Himachal Pradesh, appoint.

**2. Definitions.—**(1) In this Act, unless the context otherwise requires,—

(a) "candidate" means a person who has been granted permission by the public examination authority to appear in public examination and includes a person authorised to act as a scribe on his behalf in the public examination;

(b) "communication device" shall have the same meaning assigned to it in clause (ha) of sub-section (1) of section 2 of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000);

(c) "competent authority" means the Department of the State Government administratively concerned with the public examination;

(d) "computer network", "computer resource" and "computer system" shall have the meanings respectively assigned to them in clauses (j), (k) and (l) of sub-section (l) of section 2 of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000);

(e) "conduct of public examination" shall include all the procedures, processes and activities, as may be prescribed, for being adopted for conduct of the public examination;

(f) "institution" means any agency, organisation, body, association of persons, business entity, company, partnership or single proprietorship firm, by whatever name it may be called, which is other than the public examination authority and the service provider engaged by such authority;

*Explanation.*—For the purposes of this clause, it is clarified that "company" includes a company as defined in clause (20) of section 2 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013); or a limited liability partnership firm as defined in clause (n) of sub-section (1) of section 2 of the Limited Liability Partnership Act, 2008 (6 of 2009);

(g) "notification" means a notification published in the Rajpatra (e-Gazette) Himachal Pradesh and the expression "notify" shall be construed accordingly;

(h) "organised crime" means an unlawful activity committed by a person or a group of persons indulging in unfair means in collusion and conspiracy to pursue or promote a shared interest for wrongful gain in respect of a public examination;

(i) "person associated with a service provider" means a person who performs services for or on behalf of such service provider irrespective of whether such person is an employee or an agent or a subsidiary of such service provider, as the case may be;

(j) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act;

(k) "public examination" means any examination conducted by the public examination authority;

(l) "public examination authority" means an authority as specified in THE SCHEDULE;

(m) "public examination centre" means such premises, which is selected by the service provider or otherwise selected by the public examination authority, to be used for conduct of public examination and which, amongst others, may include any school, computer centre, institution, any building or part thereof and the same shall include the entire periphery and land appurtenant thereto which may be used for security and other related reasons for conduct of the public examinations;

(n) "service provider" means any agency, organisation, body, association of persons, business entity, company, partnership or single proprietorship firm, including its associates, sub-contractors and provider of support of any computer resource or any material, by whatever name it may be called, which is engaged by the public examination authority for conduct of public examination; and

(o) "SCHEDULE" meaning THE SCHEDULE appended to this Act.

(2) Words and expressions used herein but not defined and defined under any other law for the time being in force, shall have the same meanings as assigned to them in those laws.

## CHAPTER-II

## UNFAIR MEANS AND OFFENCES

**3. Unfair means.—**The unfair means relating to the conduct of a public examination shall include any act or omission done or caused to be done by any person or group of persons or institutions, and include but not be restricted to, any of the following acts for monetary or wrongful gain—

(i) leakage of question paper or answer key or part thereof;
(ii) participating in collusion with others to effect leakage of question paper or answer key;
(iii) accessing or taking possession of question paper or an Optical Mark Recognition response sheet without authority;
(iv) providing solution to one or more questions by any unauthorised person during a public examination;
(v) directly or indirectly assisting the candidate in any manner unauthorisedly in the public examination;
(vi) tampering with answer sheets including Optical Mark Recognition response sheets;
(vii) altering the assessment except to correct a bonafide error without any authority;
(viii) willful violation of norms or standards set up by the State Government for conduct of a public examination on its own or through its agency;
(ix) tampering with any document necessary for short-listing of candidates or finalising the merit or rank of a candidate in a public examination;
(x) deliberate violation of security measures to facilitate unfair means in conduct of a public examination;
(xi) tampering with the computer network or a computer resource or a computer system;
(xii) manipulation in seating arrangements, allocation of dates and shifts for the candidates to facilitate adopting unfair means in examinations;
(xiii) threatening the life, liberty or wrongfully restraining persons associated with the public examination authority or the service provider or any authorised agency of the Government; or obstructing the conduct of a public examination;
(xiv) creation of fake website to cheat or for monetary gain; and
(xv) conduct of fake examination, issuance of fake admit cards or offer letters to cheat or for monetary gain.

**4. Conspiracy for unfair means.—**No person or group of persons or institutions shall collude or conspire to facilitate indulgence in any such unfair means.

**5. Disruption to conduct public examination.—**(1) No person, who is not entrusted or engaged with the work pertaining to the public examination or conduct of public examination or who is not a candidate, shall enter the premises of the examination centre, with intent to disrupt the conduct of the public examination.

(2) No person authorised, engaged or entrusted with the duties to conduct public examination shall, before the time fixed for opening and distribution of question papers—

(a) open, leak or possess or access or solve or seek assistance to solve such question paper or any portion or a copy thereof in unauthorised manner for monetary or wrongful gain;

(b) give any confidential information or promise to give such confidential information to any person, where such confidential information is related to or in reference to such question paper for monetary or wrongful gain.

(3) No person, who is entrusted or engaged with any work pertaining to public examination shall, except where he is authorised in furtherance of his duties so to do, reveal or cause to be revealed or make known to any other person any information or part thereof which has come to his knowledge for any undue advantage or wrongful gain.

**6. Other offences.—**If any person or group of persons or institution commits any unfair means or offence under sections 3, 4 and section 5, the service provider shall forthwith report the offence to the concerned police authorities and also inform the public examination authority:

Provided that if the service provider resorts to unfair means and commits the offence or is involved in facilitating an offence, the public examination authority shall report the same to the concerned police authorities.

**7. No primises other than examination centre shall be used for public examination.—**It shall be an offence for the service provider or any person associated with the service provider to cause any premises, other than the examination centre, authorised by the public examination authority, to be alternatively used for the purpose of holding public examination, without the written approval of the public examination authority:

Provided that nothing contained in this section shall be an offence where any change in the examination centre without prior consent of the public examination authority is due to any force majeure.

**8. Offences in respect of service provider and other persons.—**(1) Any person, including the person associated with a service provider, shall be deemed to have committed an offence if he individually or in collusion with any other person or group of persons or institutions assists any person or group of persons or institutions in any manner unauthorisedly in the conduct of public examination.

(2) Service provider or any person associated with it shall be deemed to have committed an offence if he fails to report incidence of any unfair means or commission of any offence.

(3) Where an offence committed by a service provider is, *prima facie*, established during investigation to have been committed with the consent or connivance of any director, manager, secretary or other officer of such service provider, such person shall also be liable to be proceeded against:

Provided that nothing contained in this sub-section shall render any such person liable to any punishment under the Act, if he proves, that the offence was committed without his knowledge and that he exercised all due diligence to prevent the commission of such offence.

## CHAPTER-III

## PUNISHMENT FOR OFFENCES

**9. Cognizable offences.—**All offences under this Act, shall be cognizable, non-bailable and non-compoundable.

**10. Punishment for offences under this Act.—**(1) Any person or persons resorting to unfair means and offences under this Act, shall be punished with imprisonment for a term not less than three years but which may extend to five years and with fine up to ten lakh rupees. In case of default of payment of fine, an additional punishment of imprisonment shall be imposed, as per the provisions of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (45 of 2023).

(2) The service provider shall also be liable to be punished with imposition of a fine upto one crore rupees and proportionate cost of examination shall also be recovered from such service

provider and he shall also be barred from being assigned with any responsibility for the conduct of any public examination for a period of four years.

(3) Where it is established during the investigation that offence under this Act has been committed with the consent or connivance of any Director, Senior Management or the persons in-charge of the service provider firm, he shall be liable for imprisonment for a term not less than three years but which may extend to ten years and with fine of one crore rupees. In case of default of payment of fine, an additional punishment of imprisonment shall be imposed as per the provisions of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (45 of 2023).

(4) Nothing contained in this section shall render any such person liable to any punishment under the Act, if he proves, that the offence was committed without his knowledge and that he exercised all due diligence to prevent the commission of such offence.

**11. Organised crimes.—**(1) If a person or a group of persons including the examination authority or service provider or any other institution commits an organised crime, he shall be punished with imprisonment for a term not less than five years but which may extend to ten years and with fine which shall not be less than one crore rupees. In case of default of payment of fine, an additional punishment of imprisonment shall be imposed as per the provisions of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023(45 of 2023).

(2) If an institution is involved in committing an organised crime, its property shall be subjected to attachment and forfeiture and proportionate cost of examination shall also be recovered from it.

## CHAPTER-IV

## INQUIRY AND INVESTIGATION

**12. Officers empowered to investigate.—**(1) An officer not below the rank of Deputy Superintendent of Police shall investigate any offence under this Act.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), the State Government shall have the powers to refer the investigation to any Investigating Agency.

## CHAPTER-V

## MISCELLANEOUS

**13. Members, Officers and employees of public examination authority to be public servants.—**The Chairperson, Members, Officers and other employees of the public examination authority shall be deemed, when acting or purporting to act in pursuance of any of the provisions of this Act, to be public servants within the meaning of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (45 of 2023).

**14. Protection of action taken in good faith by any public servant.—**No suit, prosecution or other legal proceedings under this Act, shall lie against any public servant, in respect of anything which is done in good faith or intended to be done in the discharge of his official functions or in exercise of his powers:

Provided that the public servants in the service of any public examination authority shall be subject to administrative action in terms of service rules of such public examination authority:

Provided further that nothing shall prevent proceeding against such public servants where, *prima facie* case exists for establishing commission of an offence under this Act.

**15. Provisions of this Act to be in addition to other laws.—**The provisions of this Act shall be in addition to, and not in derogation of, any other law for the time being in force:

Provided that the provisions of this Act shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other law for the time being in force or any instrument having effect by virtue of any such law in force.

**16. Power of Amend THE SCHEDULE.—**The State Government may, by notification published in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh, amend or vary entries of THE SCHEDULE.

**17. Power of make rules.—**(1) The State Government may, by notification in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh, make rules to carry out the purposes of this Act.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for all or any of the following matters, namely:-

(a) to lay down procedures, processes and activities for being adopted to conduct the public examination; and

(b) any other matter which is to be or may be prescribed.

(3) Every rule made under this Act shall be laid, as soon as may be after it is made, before the Legislative Assembly, while it is in session, for a total period of not less than ten days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session in which it is so laid or the sucessive sessions aforesaid, the Legislative Assembly agrees in making any modification in the rule, or decides that the rule should not be made, the rule shall, thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so, however, that any such modification or annulment shall be; without prejudice to the validity of anything previously done under that rule.

**18. Power to remove difficulities.—** (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by order, published in Rajpatra (e-Gazette) Himachal Pradesh, make such provisions not inconsistent with the provisions of this Act, as appear to it to be necessary for removal of difficulty:

Provided that no such order shall be made under this section after the expiry of two years from the commencement of this Act.

(2) Every order made under this section shall be laid, as soon as may be after it is made, before the State legislative Assembly.

THE SCHEDULE
[*See* section 2 (l)]

ANY EXAMINATION CONDUCTED BY—

1. Himachal Pradesh Public Service Commission, Shimla.
2. Himachal Pradesh Rajya Chayan Aayog, Hamirpur.

## STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Malpractices in public examinations often result in delays or cancellations, thereby jeopardising the prospects of millions of young candidates. At present, there is no specific substantive law to comprehensively address the use of unfair means or offences committed by individuals, groups, or institutions involved in the conduct of public examinations by the State Government and its agencies. It is, therefore, essential to identify such exploitative practices and address them effectively through a comprehensive State legislation.

The objective of the Bill is to ensure greater transparency, fairness, and credibility in the public examination system, and to reassure the youth that their genuine efforts will be duly recognised and their future is safe. The Bill seeks to provide a strong legal framework to deter individuals, organised groups, and institutions from indulging in unfair practices that undermine the integrity of public examinations for monetary or other wrongful gains.

The Bill seeks to achieve the above objectives.

**(SUKHVINDER SINGH SUKHU)**
*Chief Minister.*

Shimla:
The.....2025

---

## FINANCIAL MEMORANDUM

-NIL-

---

## MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Clauses 16 and 17 of the Bill seek to empower the State Government to amend THE SCHEDULE and make rules respectively for carrying out the purposes of this Act. The proposed delegation of power is essential and normal in character.

---

## THE HIMACHAL PRADESH PUBLIC EXAMINATIONS (PREVENTION OF UNFAIR MEANS) BILL, 2025

A

BILL

*to prevent unfair means in the public examinations and to provide for matters connected therewith or incidental thereto.*

**(SUKHVINDER SINGH SUKHU)**
*Chief Minister.*

---

**(SHARAD KUMAR LAGWAL)**
*Pr. Secretary (Law).*

SHIMLA:
The ....., 2025.

## हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

दिनांक, 1 सितम्बर, 2025

**संख्या वि0स0–विधायन–विधेयक / 1–128 / 2025.**––हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम–140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान संशोधन विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 16) जो आज दिनांक 1 सितम्बर, 2025 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण को सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

हस्ताक्षरित / –
सचिव,
हि0 प्र0 विधान सभा।

––––––––––

2025 का विधेयक संख्यांक 16.

## हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान संशोधन विधेयक, 2025

खण्डों का क्रम

**खण्डः**

1. संक्षिप्त नाम।
2. धारा 11क का अंतःस्थापन।
3. धारा 15 का संशोधन।

––––––––––

2025 का विधेयक संख्यांक 16.

## हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान संशोधन विधेयक, 2025

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान अधिनियम, 1999 (1999 का अधिनियम संख्यांक 16) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक**।

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

**1. संक्षिप्त नाम.**––(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान संशोधन अधिनियम, 2025 है।

2. **धारा 11क का अंतःस्थापन.**––हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान अधिनियम, 1999 (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'मूल अधिनियम' कहा गया है) की धारा 11 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:–

**'11क. पथ कर द्वारा वहन किए जाने वाले कतिपय माल के बकाया के निर्धारण हेतु विशेष उपबन्धः**–इस अधिनियम में या तद्धीन बनाए गए नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी, किसी व्यक्ति, सम्प्रवर्तक / स्वामी आदि द्वारा संदेय कर शास्ति, ब्याज या कोई अन्य देय के निर्धारण हेतु सरकार, राजपत्र (ई–गजट), हिमाचल प्रदेश में अधिसूचना द्वारा अधिनियम के अधीन कर शास्ति ब्याज, के संदाय जो किसी भी अवधि से सम्बंधित हो, सहित बकाया देय राशि और उसके सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक मामलों में ऐसी शर्तों और निर्बन्धनों जैसे उक्त स्कीम में सीमावधि सहित विनिर्दिष्ट किए जाएं, के अध्यधीन स्कीम अधिसूचित कर सकेगी।''।

3. **धारा 15 का संशोधन.**––मूल अधिनियम की धारा 15 ,–

(क) प्रथम परन्तुक का लोप किया जाएगा; और

(ख) द्वितीय परन्तुक में ''और'' शब्द का लोप किया जाएगा।

––––––––––

## उद्देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश (सड़क पर कतिपय माल के वहन पर) कराधान अधिनियम, 1999 की धारा 15 का परंतुक सरकार पर एकमुश्त कर के सम्वर्धन की बाबत प्रतिबंध लगाता है। ऐसी स्थितियों के निवारण के आशय से जहां सरकार से उपरोक्त अधिनियमिति के अधीन पचास प्रतिशत से अधिक की कर की वृद्धि की अपेक्षा की जाती है, वहां संबंधित अधिनियमितियों में से उक्त परंतुक का लोप किए जाने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, देय बकायों के निर्धारण के दृष्टिगत जिन्हें विवादित मांग और बकाया देयों की तीव्र वसूली के कारण वसूल करना कठिनतम हो गया है, निर्धारण स्कीम प्रस्तुत / प्रारम्भ करने हेतु एक सबल उपबंध के अंतस्थापित किए जाने की आवश्यकता है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

**(सुखविंदर सिंह सुक्खू)**
मुख्य मन्त्री।

शिमलाः
तारीखः....., 2025

––––––––

## वित्तीय ज्ञापन

–शून्य–

––––––––

## प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

–शून्य–

––––––––

**भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल की सिफारिशें**
**(नस्ति संख्याः ईएक्सएन–ए(3)–3 / 2025)**

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान संशोधन विधेयक, 2025 की विषय वस्तु के सम्बन्ध में सूचित किए जाने पर भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन विधानसभा में विधेयक को पुरःस्थापित करने और उस पर विचार करने की सिफारिश करते हैं।

———————

**हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान संशोधन विधेयक, 2025**

हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान अधिनियम, 1999 (1999 का अधिनियम संख्यांक 16) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक**।

**(सुखविंदर सिंह सुक्खू)**
मुख्य मन्त्री।

————————

**(शरद कुमार लगवाल)**
सचिव (विधि)।

शिमलाः
तारीखः....., 2025

———————

*AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT*

**Bill No. 16 of 2025.**

**THE HIMACHAL PRADESH TAXATION (ON CERTAIN GOODS CARRIED BY ROAD) AMENDMENT BILL, 2025**

ARRANGEMENT OF CLAUSES

***Clauses:***

1. Short title.
2. Insertion of section 11A.
3. Amendment of section 15.

**Bill No. 16 of 2025.**

# THE HIMACHAL PRADESH TAXATION (ON CERTAIN GOODS CARRIED BY ROAD) AMENDMENT BILL, 2025

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

*further to amend the Himachal Pradesh Taxation (on Certain Goods Carried by Road) Act, 1999 (Act No. 16 of 1999).*

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy-sixth Year of the Republic of India as follows:—

**1. Short title.—**This Act may be called the Himachal Pradesh Taxation (on Certain Goods Carried by Road) Amendment Act, 2025.

**2. Insertion of section 11A.—**In the Himachal Pradesh Taxation (on Certain Goods Carried by Road) Act, 1999 (hereinafter referred to as the "principal Act"), after section 11, the following section shall be inserted, namely:—

> **"11A. Special provision for settlement of arrears of Certain Goods Carried by Road Tax.—**Notwithstanding anything to the contrary contained in this Act, or rules framed thereunder, the Government may notify a scheme for the settlement of outstanding dues and matters connected therewith or incidental thereto, including payment of tax, penalty or interest related to any period, subject to such conditions and restrictions as may be specified in the scheme, covering period of limitation, rate of tax, penalty, interest or any other dues payable by a person, proprietor or owner, etc.".

**3. Amendment of section 15.—**In the principal Act, in section 15,—

(a) the first proviso shall be omitted; and

(b) in the second proviso, the word "further", shall be omitted.

---

## STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The proviso to section 15 of the Himachal Pradesh Taxation (on Certain Goods Carried by Road) Act, 1999, imposes restriction on the Government with regard to enhancement of tax in one go. In order to take care of situations wherein the Government is required to increase the tax under the aforesaid enactment beyond fifty percent, the proviso in respective enactments needs to be omitted. Further, with a view to settle outstanding arrears that have been difficult to recover due to disputed demand and to expedite recovery of outstanding dues, enabling provision for introducing a settlement scheme needs to be inserted.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

**(SUKHVINDER SINGH SUKHU)**
*Chief Minister.*

SHIMLA:

THE……, 2025

---

**FINANCIAL MEMORANDUM**

-Nil-

---

**MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION**

-Nil-

---

**RECOMMENDATIONS OF THE GOVERNOR UNDER ARTICLE 207 OF THE CONSTITUTION OF INDIA**

**(File No. EXN-A(3)-3/2025)**

The Governor, Himachal Pradesh having been informed of the subject matter of the Himachal Pradesh Taxation (on Certain Goods Carried by Road) Amendment Bill, 2025, recommends, under article 207 of the Constitution of India, the introduction and consideration of the Bill in the Legislative Assembly.

---

**THE HIMACHAL PRADESH TAXATION (ON CERTAIN GOODS CARRIED BY ROAD) AMENDMENT BILL, 2025**

A

BILL

*further to amend the Himachal Pradesh Taxation (on Certain Goods Carried by Road) Act, 1999 (Act No. 16 of 1999).*

**(SUKHVINDER SINGH SUKHU)**
*Chief Minister.*

---

**(SHARAD KUMAR LAGWAL)**
*Pr. Secretary (Law).*

SHIMLA:
THE……., 2025.

**ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)**

किस्म मुकद्दमा : तकसीम केस नं0

1. सतिन्दर, 2. जातिन्दर, 3. नरिन्दर सिंह पुत्र बलवन्त सिंह पुत्र जगत राम, निवासी महाल घणा, मौजा घणा, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।

बनाम

1. मदन लाल, 2. सुरिन्दर कुमार उर्फ नरिंदर पुत्र सदा नन्द c/o यमिनी शर्मा, निवासी गांव व डा0 सिधवाडी, नियर सेक्रेट हार्ट स्कूल, तहसील धर्मशाला, 3. वरिंदर Through his LR a अनमोल पुत्र वरिंदर कुमार, निवासी गांव व डा0 नगरोटा, तहसील रक्कड़, जिला कांगड़ा, 4. श्रीमती कमलेश कुमारी पुत्री सदानन्द, निवासी महाल घणा, 5. श्रीमती सवर्णा देवी पुत्री सदानन्द Through his LR a अरुण कुमार पुत्र व b अनीता, c सविता पुत्रियां सवर्णा देवी पत्नी गोवर्धन, निवासी वार्ड नं0 9, नूरपुर, तहसील नूरपुर, जिला कांगड़ा, 6. कुमारी नलिनी पुत्री, 7. सुखदेव, 8. धर्म पाल, 9. जीत कुमार, 10. अशोक कुमार पुत्र संत राम, निवासी महाल घणा, 11. रविंदर कुमार Through LRs असुनीता शर्मा, बनिता शर्मा, c कीर्ति शर्मा पुत्रियां रविंदर, निवासी गांव व डा0 रेत, 12. सुरिन्दर कुमार Through LRs राकेश कुमार, b दिनेश कुमार पुत्र व, c अलका वशिष्ठ पुत्री व, d सुदेश कुमारी विधवा सुरिन्दर कुमार पुत्र राजा राम, निवासी गांव व डा0 रेत, 13. परषोतम लाल, 14. चुनी लाल पुत्र प्रताप चन्द पुत्र दुर्गा दास, निवासी महाल घणा, मौजा घणा, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

विषय.––प्रार्थना–पत्र तकसीम भूमि खाता नं0 377, खतौनी नं0, 553, खसरा नं0 847, रकबा तादादी 00–06–30 है0, वाक्या महाल व मौजा घणा, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

प्रार्थना–पत्र 1. सतिन्दर, 2. जातिन्दर, 3. नरिन्दर सिंह पुत्र बलवन्त सिंह पुत्र जगत राम, निवासी महाल घणा, मौजा घणा, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 ने प्रार्थना–पत्र तकसीम हुकमन बारे गुजारा है, जिसमें उपरोक्त प्रतिवादीगण को समन साधारण तरीके से तामील न हो पा रहे हैं, इसलिए उपरोक्त प्रतिवादीगण को इस इश्तहार राजपत्र / मुस्त्री मुन्यादी के द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी पक्ष को उपरोक्त वर्णित भूमि की तकसीम करने बारे कोई भी उजर / एतराज हो तो वह अधोहस्ताक्षरी की अदालत में दिनांक 04–09–2025 को प्रातः 11.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपने उजर / एतराज पेश कर सकता है, अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में उपरोक्त प्रतिवादीगण के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी व तरीका तकसीम जारी कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 23–07–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समार्हता प्रथम श्रेणी,
धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

---

**ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)**

किस्म मुकद्दमा : तकसीम केस नं0 : 133 / 24.

बलदेव सिंह पुत्र रूप सिंह, निवासी गांव चोहला, मौजा व तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।

बनाम

1. मंगता, 2. सुंका पुत्र रोड़ा, 3. उसताज, 4. अमर सिंह, 5. शेर सिंह पुत्र व, 6. अम्लो देवी, 7. लता देवी पुत्रियां डूमणु, 8. श्रीमती अजूध्या देवी, 9. श्रीमती किटो, 10. श्रीमती निमो, 11. श्रीमती जानू पुत्रियां राम दास, 12. उत्तम चन्द पुत्र जेशी राम, 13. चुनी लाल उर्फ उत्तम चन्द, 14. रमेश कुमार, 15. सुरेश कुमार, 16. महेश कुमार, 17. जीत कुमार पुत्र परमा, 18. दर्जी पुत्र बरड, 19. श्रीमती प्रकाशो विधवा बैसाखी, 20. सानु पुत्र माजा, 21. लता, 22. जगो अर्जन पुत्र ठेंठा, 23. पावन कुमार पुत्र गिटा राम, निवासी गांव चौहला, मौजा व तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

विषय.––प्रार्थना–पत्र तकसीम भूमि खाता नं0 68, खतौनी नं0, 175 ता 179, खसरा कित्ता 50, रकबा तादादी 00–95–76 है0, वाक्या महाल टहु, मौजा व तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 जमाबन्दी साल 2017–18.

प्रार्थना–पत्र प्रार्थी बलदेव सिंह पुत्र रूप सिंह, निवासी गांव चोहला, मौजा व तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 ने प्रार्थना–पत्र तकसीम हुकमन बारे गुजारा है, जिसमें उपरोक्त प्रतिवादीगण को समन साधारण तरीके से तामील न हो पा रहे हैं, इसलिए उपरोक्त प्रतिवादीगण को इस इश्तहार राजपत्र / मुस्त्री मुन्नादी के द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी पक्ष को उपरोक्त वर्णित भूमि की तकसीम करने बारे कोई भी उजर / एतराज हो तो वह अधोहस्ताक्षरी की अदालत में दिनांक 05–09–2025 को प्रातः 11.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपने उजर / एतराज पेश कर सकता है, अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में उपरोक्त प्रतिवादीगण के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी व तरीका तकसीम जारी कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 03–07–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समार्हता प्रथम श्रेणी,
धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

---

**समक्ष तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील बड़ोह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)**

मिसल नं0 : 08 / 2025 तारीख मजरूआ : 14–08–2025 तारीख पेशी : 10–09–2025

श्री वीरेन्द्र कुमार पुत्र श्री फांगो राम पुत्र तारा, निवासी महाल मुण्ढा, मौजा सुन्ही, तहसील बड़ोह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) .. प्रार्थी।

बनाम

आम जनता .. फरीकदोयम।

दरख्वास्त बाबत नाम दुरुस्ती।

श्री वीरेन्द्र कुमार पुत्र श्री फांगो राम पुत्र तारा, निवासी महाल मुण्ढा, मौजा सुन्ही, तहसील बड़ोह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने अदालत में दिनांक 14–08–2025 को प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करते हुए अपने प्रार्थना–पत्र में निवेदन किया है कि प्रार्थी का वास्तविक नाम वीरेन्द्र कुमार है, परन्तु प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख महाल मुण्ढा में वीरेन्द्र सिंह दर्ज हो चुका है, जोकि गलत दर्ज हुआ है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना–पत्र के समर्थन में आहवान पत्र तलबाना, नकल जमाबन्दी, स्व0 घोषणा पत्र, पैन कार्ड, शिक्षा प्रमाण पत्र, राशन कार्ड व आधार कार्ड साथ संलग्न कर रखे हैं। अब प्रार्थी ने अपने नाम की दुरुस्ती के आदेश पारित करने हेतु आग्रह किया है।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण आम जनता को सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति को राजस्व अभिलेख महाल मुण्ढा में प्रार्थी का नाम वीरेन्द्र सिंह के स्थान पर वीरेन्द्र कुमार पुत्र श्री फांगो राम पुत्र तारा, निवासी महाल मुण्ढा, मौजा सुन्ही, तहसील बड़ोह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) के नाम दुरुस्ती करने बारे में कोई उजर / एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 10–09–2025 को 10.00 बजे इस अदालत में हाजिर होकर अपना उजर / एतराज पेश कर सकता है। बसूरत गैर–हाजिर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी और नाम दुरुस्ती दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

यह इश्तहार आज दिनांक 14–08–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ है।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
तहसील बडोह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

————————

**ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी धर्मशाला, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)**

मुकद्दमा नं0: / 2025

Roshan Lal s/o Sh. Ranjhu Ram, r/o Village & P.O. Gharoh, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.).

बनाम

1. आम जनता

2. The Commissioner-*cum*-Registrar Birth & Death, MC Dharamshala

3. The Registrar Birth & Death, C.M.O. Kangra at Dharamshala

विषय.––प्रार्थना–पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.

Roshan Lal s/o Sh. Ranjhu Ram, r/o Village & P.O. Gharoh, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.) ने इस अदालत में प्रार्थना–पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी बहन Late Kamla Devi d/o Late Sh. Ranjhu Ram की मृत्यु दिनांक 22–09–1992 को हुई है, परन्तु एम0 सी0 धर्मशाला / ग्राम पंचायत में मृत्यु पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस इश्तहार राजपत्र के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त Late Kamla Devi d/o Late Sh. Ranjhu Ram की मृत्यु पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 26–09–2025 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ–पत्र मृत्यु तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 12–08–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धर्मशाला, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

**ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी धर्मशाला, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)**

मुकद्दमा नं0: / 2025

Roshan Lal s/o Sh. Ranjhu Ram, r/o Village & P.O. Gharoh, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.).

बनाम

1. आम जनता

2. The Commissioner-*cum*-Registrar Birth & Death, MC Dharamshala

3. The Registrar Birth & Death, C.M.O. Kangra at Dharamshala

विषय.––प्रार्थना–पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.

Roshan Lal s/o Sh. Ranjhu Ram, r/o Village & P.O. Gharoh, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.) ने इस अदालत में प्रार्थना–पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी माता जी Late Smt. Premo Devi w/o Late Sh. Ranjhu Ram की मृत्यु दिनांक 08–11–1998 को हुई है, परन्तु एम0 सी0 धर्मशाला / ग्राम पंचायत में मृत्यु पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस इश्तहार राजपत्र के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त Late Smt. Premo Devi w/o Late Sh. Ranjhu Ram की मृत्यु पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 26–09–2025 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ–पत्र मृत्यु तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 12–08–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी धर्मशाला,
तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

––––––––––

**ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी धर्मशाला, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)**

मुकद्दमा नं0: / 2025

Vimla Devi d/o Sh. Sita Ram, r/o Village Jhikla Oder, P.O. Gharoh, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.).

बनाम

1. आम जनता

1. The Commissioner-*cum*-Registrar Birth & Death, MC Dharamshala

The Registrar Birth & Death, C.M.O. Kangra at Dharamshala

विषय.––प्रार्थना–पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.

Vimla Devi d/o Sh. Sita Ram, r/o Village Jhikla Oder, P.O. Gharoh, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.) ने इस अदालत में प्रार्थना–पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसका जन्म / मृत्यु दिनांक 19–12–1966 को हुआ है, परन्तु एम0 सी0 धर्मशाला / ग्राम पंचायत में जन्म पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस इश्तहार राजपत्र के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त Vimla Devi d/o Sh. Sita Ram की जन्म पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 26–09–2025 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ–पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 12–08–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धर्मशाला, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

––––––––––

**ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी धर्मशाला, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)**

मुकद्दमा नं0: / 2025

Tenzin Mipham s/o Mr. Dorjee and Mrs. Ngawang Gelma, r/o c/o Namgyal Monastery Mcleodganj, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.).

बनाम

1. आम जनता

2. The Commissioner-*cum*-Registrar Birth & Death, MC Dharamshala

3. The Registrar Birth & Death, C.M.O. Kangra at Dharamshala

विषय.––प्रार्थना–पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.

Tenzin Mipham s/o Mr. Dorjee and Mrs. Ngawang Gelma, r/o c/o Namgyal Monastery Mcleodganj, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.) ने इस अदालत में प्रार्थना–पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसका जन्म / मृत्यु दिनांक 26–04–1981 को हुआ है, परन्तु एम0 सी0 धर्मशाला / ग्राम पंचायत में जन्म पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस इश्तहार राजपत्र के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त Tenzin Mipham s/o Mr. Dorjee and Mrs. Ngawang Gelma की जन्म् पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 24–09–2025 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ–पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 01–08–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी धर्मशाला,
तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

————————

**समक्ष तहसीलदार एवम् सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, लडभड़ोल,
जिला मण्डी (हि0प्र0)**

मिसल नंबर : 77 / 2025 तारीख मरजुआ : 14 अगस्त, 2025 तारीख पेशी : 16–09–2025

श्री राजीव राठौर पुत्र श्री दुलो राम पुत्र किशन, निवासी गांव व डाकघर गोलवा, तहसील लडभड़ोल, जिला मण्डी, हि0 प्र0। .. प्रार्थी।

बनाम

आम जनता .. फरीकदोयम।

दरख्वास्त बाबत नाम दुरुस्ती।

उपरोक्त उनवान वाला मुकद्दमा में प्रार्थी श्री राजीव राठौर पुत्र श्री दुलो राम पुत्र किशन, निवासी गांव व डाकघर गोलवा, तहसील लडभड़ोल, जिला मण्डी, हि0 प्र0 ने इस अदालत में दिनांक 14–08–2025 को प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करते हुए अपने प्रार्थना–पत्र में निवेदन किया है कि प्रार्थी का वास्तविक नाम राजीव राठौर है, जोकि प्रार्थी के नकल परिवार रजिस्टर, आधार कार्ड में दर्ज है, परन्तु प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख महाल गोलवा में राजीव कुमार दर्ज हो चुका है, जो कि गलत दर्ज हुआ है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना–पत्र के समर्थन में आह्वान पत्र तलबाना, स्वघोषणा पत्र, परिवार नकल, आधार कार्ड, शिक्षा प्रमाण–पत्र की प्रति संलग्न कर रखे हैं। अब प्रार्थी ने अपने नाम की दुरुस्ती के आदेश चाहे हैं।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्व अभिलेख महाल गोलवा, तहसील लडभड़ोल, जिला मण्डी, हि0 प्र0 में प्रार्थी का नाम राजीव कुमार के स्थान पर राजीव राठौर दुरुस्त करने बारे में कोई उजर / एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 16 सितम्बर, 2025 को 10.00 बजे प्रातः इस अदालत में हाजिर होकर अपना उजर / एतराज पेश कर सकता है। बसूरत गैरहाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रार्थी का नाम दुरुस्त करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार आज दिनांक 14–08–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0प्र0)।

————————

**समक्ष तहसीलदार एवम् सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, लडभड़ोल,
जिला मण्डी (हि0प्र0)**

मिसल नंबर : 76 / 2025 तारीख मरजुआ : 14 अगस्त, 2025 तारीख पेशी : 16–09–2025

श्रीमती मीना देवी पुत्री दामोदर पुत्र शिवदयाल, निवासी ममाण, डाकघर व तहसील लडभड़ोल, जिला मण्डी, हि0 प्र0। .. प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता .. फरीकदोयम।

दरख्वास्त बाबत नाम दुरुस्ती।

उपरोक्त उनवान वाला मुकद्दमा में प्रार्थिया श्रीमती मीना देवी पुत्री दामोदर पुत्र शिवदयाल, निवासी ममाण, डाकघर व तहसील लडभड़ोल, जिला मण्डी, हि0 प्र0 ने इस अदालत में दिनांक 14–08–2025 को प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करते हुए अपने प्रार्थना–पत्र में निवेदन किया है कि प्रार्थिया का वास्तविक नाम मीना देवी है, जोकि प्रार्थिया के नकल परिवार रजिस्टर, आधार कार्ड में दर्ज है परन्तु प्रार्थिया का नाम राजस्व अभिलेख महाल ममाण में मीनू देवी दर्ज हो चुका है, जो कि गलत दर्ज हुआ है। प्रार्थिया ने अपने प्रार्थना–पत्र के समर्थन में आह्वान पत्र तलबाना, स्वघोषणा पत्र, परिवार नकल, आधार कार्ड, शिक्षा प्रमाण–पत्र साथ संलग्न कर रखे हैं। अब प्रार्थिया ने अपने नाम की दुरुस्ती के आदेश चाहे हैं।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्व अभिलेख महाल ममाण, तहसील लडभड़ोल, जिला मण्डी, हि0 प्र0 में प्रार्थिया का नाम मीनू देवी के स्थान पर मीनू देवी उपनाम मीना देवी दुरुस्त करने बारे में कोई उजर / एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 16 सितम्बर, 2025 को 10.00 बजे प्रातः इस अदालत में हाजिर होकर अपना उजर / एतराज पेश कर सकता है। बसूरत गैरहाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रार्थिया का नाम दुरुस्त करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार आज दिनांक 14–08–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0प्र0)।

————————

**ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील सुन्दरनगर,
जिला मण्डी (हि0प्र0)**

केस नम्बर : 53 / एन0टी0 / 2025 तारीख पेशी : 24–09–2025

श्रीमती प्रवीण अख्तर पुत्री श्री शेर अली, निवासी गांव दीनक, डा0 कनैड, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा.–जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के तहत जन्म तिथि के पंजीकरण हेतु।

श्रीमती प्रवीण अख्तर पुत्री श्री शेर अली, निवासी गांव दीनक, डा0 कनैड, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0) ने प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर व्यक्त किया कि उसका जन्म 01–07–1970 को गांव दीनक, डा0 कनैड, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0) में हुआ था किन्तु किसी कारणवश जन्म तिथि का पंजीकरण ग्राम पंचायत कनैड के अभिलेख में दर्ज न हो सका है इसलिए जन्म तिथि का पंजीकरण करने के आदेश पारित किये जाएं।

यह प्रकरण सुनवाई हेतु दिनांक 24–09–2025 को मुकाम सुन्दरनगर में निश्चित है। अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार / मुश्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति या पक्ष को इस जन्म पंजीकरण बारे कोई आपत्ति या एतराज हो तो वह 24–09–2025 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में असालतन या वकालतन आकर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। गैरहाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी तथा प्रार्थिया श्रीमती प्रवीण अख्तर पुत्री श्री शेर अली, निवासी गांव दीनक, डा0 कनैड, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0) की जन्म तिथि दिनांक 01–07–1970 का पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के अन्तर्गत ग्राम पंचायत कनैड के अभिलेख में दर्ज करने के आदेश प्रदान कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 19–08–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0)।

———————

**In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sadar, District Mandi, H. P.**

In the matter of :—

1. Sh. Bhag Chand Sharma s/o Late Sh. Daya Ram Sharma, r/o H. No. 336/5/3, Jail Road Mandi, P.O. Mandi, Tehsil Sadar, District Mandi, H.P.

2. Smt. Jitendra Sharma d/o Sh. Beni Madhav Sharma, V.P.O. Reuar, Tehsil Balh, District Mandi, H.P.

*Versus*

General Public

Subject.—Application for the registration of Marriage under Section 15 of Special Marriage Act, 1954.

Sh. Bhag Chand Sharma s/o Late Sh. Daya Ram Sharma, r/o H. No. 336/5/3, Jail Road Mandi, P.O. Mandi, Tehsil Sadar, District Mandi, H.P. and Smt. Jitendra Sharma d/o Sh. Beni Madhav Sharma, V.P.O. Reuar, Tehsil Balh, District Mandi, H.P. (at present wife of Sh. Bhag Chand Sharma s/o Late Sh. Daya Ram Sharma, r/o H. No. 336/5/3, Jail Road Mandi, P.O. Mandi, Tehsil Sadar, District Mandi, H.P. have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under Section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their

marriage on 30-06-1990 according to Hindu rites and customs at their respective houses Mandi, District Mandi, H.P. and they are living together as husband and wife since then. Hence, their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 19-09-2025 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 20th day of August, 2025 under my hand and seal of the court.

Seal. Sd/-

*Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,*
*Sadar, District Mandi (H.P.).*

---

**ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश**

| मुकद्दमा संख्या : | तारीख दायर : | किस्म दुरुस्ती : |
|---|---|---|
| 03 / 2025 | 22–01–2025 | दुरुस्ती इन्द्राज |

मुकद्दमा शीर्षक : श्री रमेश कुमार पुत्र स्व0 धर्म जीत, निवासी गांव कोटी, डाकघर धार गौरा, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0प्र0) .. वादी।

बनाम

आम जनता .. प्रतिवादी।

विषय.––राजस्व माल कागजात में हि0प्र0 भू–राजस्व अधिनियम, 1954 की जेर धारा 37 के तहत दुरुस्ती इन्द्राज बारे।

श्री रमेश कुमार पुत्र स्व0 धर्म जीत, निवासी गांव कोटी, डाकघर धार गौरा, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में आवेदन–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादी के पिता का नाम मौजा कोटी एवं धार गौरा के राजस्व कागजात माल में सिंगी राम पुत्र धर्म जीत पुत्र तुला राम गलत दर्ज हुआ है, जबकि वादी का असली नाम मुताबिक आधार कार्ड, नकल परिवार मय शपथ–पत्र के अनुसार रमेश कुमार पुत्र धर्मजीत पुत्र तुला राम जो सही व दुरुस्त है। वादी राजस्व कागजात मौजा कोटी एवं धार गौरा में अपना नाम दुरुस्त करना चाहता है जिसकी मौका छानबीन क्षेत्रीय कानूनगो झाखड़ी से की गई। मुताबिक झाखड़ी छानबीन क्षेत्रीय इकाइयों के रिपोर्ट इस प्रकार हैः–

सायल का नाम हल्का हजा में माल कागजात कोटी (100), जमाबन्दी वर्ष 2019–2020 में खेवट नम्बरान 7, 12, 13, 19 व महाल धार (103), जमाबन्दी वर्ष 2020–2021 में खेवट नम्बर 46 में सिंघी राम पुत्र धर्म जीत पुत्र तुला राम दर्ज है।

मुताबिक ब्यानात सायल व बाशिंदगान देह एवं संलग्न दस्तावेजों के सायल का नाम रमेश कुमार पुत्र धर्मजीत पुत्र तुला राम है जिसकी दुरुस्ती राजस्व कागजात माल में दर्ज किया जाना वाजिब है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण व सम्बन्धित रिश्तेदारों को राजस्व कागजात मौजा कोटी एवं धार गौरा में सिंघी राम पुत्र धर्मजीत पुत्र तुला राम के स्थान पर रमेश कुमार उर्फ सिंघी पुत्र धर्मजीत पुत्र तुला राम

दुरुस्त करने बारे कोई भी उजर / एतराज हो तो वह इश्तहार प्रकाशन के एक माह के भीतर अदालत हजा में असालतन / वकालतन हाजिर होकर अपना उजर / एतराज प्रस्तुत कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर / एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार नाम दुरुस्ती करने बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत हजा से आज दिनांक 25–08–2025 को जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
रामपुर, जिला शिमला (हि0प्र0)।

————————

**ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दणाडाधिकारी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश**

| मुकद्दमा संख्या : | तारीख दायर : | किस्म दुरुस्ती : |
|---|---|---|
| 18 / 2025 | 04–02–2025 | दुरुस्ती इन्द्राज |

मुकद्दमा शीर्षक : श्रीमती शीतला देवी पुत्री चरण दास, निवासी गांव शाह, डाकघर धार गौरा, तहसील रामपुर, जिला शिमला (हि0प्र0) .. वादिया।

बनाम

आम जनता .. प्रतिवादी।

विषय.––राजस्व माल कागजात में हि0प्र0 भू–राजस्व अधिनियम, 1954 की जेर धारा 37 के तहत दुरुस्ती इन्द्राज बारे।

श्रीमती शीतला देवी पुत्री चरण दास, निवासी गांव शाह, डाकघर धार गौरा, तहसील रामपुर, जिला शिमला (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में आवेदन–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादिया का नाम राजस्व माल कागजात मोहाल कोटी में बालक दासी पुत्री चरण दास पुत्र भाउ दर्ज है, जोकि गलत दर्ज हुआ है वादिया का वास्तविक मुताबिक नाम पंचायत रिकार्ड, नकल परिवार रजिस्टर, आधार कार्ड, राशन कार्ड, निवास प्रमाण–पत्र एवं स्कूल प्रमाण–पत्र के अनुसार शीतला देवी पुत्री चरण दास है। वादिया राजस्व कागजात मौजा कोटी में अपना नाम दुरुस्त करवाना चाहती है।

उपरोक्त तथ्यों की मौका छानबीन क्षेत्रीय कानूनगो रामपुर से की गई। मुताबिक मौका छानबीन क्षेत्रीय इकाइयों से पाया कि मुताबिक जमाबंदी वर्ष 2019–20 महाल कोटी (100) में खेबट नम्बरान 18, 19 व 39 नि / 132 में श्रीमती बालक दासी पुत्री चरण दास पुत्र भाउ बतौर मालिका हिस्सादार दर्ज है। मुताबिक आवेदन के उक्त खेवट में सायल का नाम श्रीमती बालक दासी दर्ज है जोकि गलत दर्ज है जिस बारे मौके पर वाशिन्दगान देह के ब्यान कलमबद्ध किए गए जो शामिल मिसल है। वादिया के नाम माल कागजात में दर्ज करने की सिफारिश की गई है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण व सम्बन्धित रिश्तेदारों को यदि राजस्व कागजात मौजा कोटी में वादिया शीतला देवी पुत्री चरण दास का नाम बालक दासी पुत्री चरण दास पुत्र भाउ के स्थान पर शीतला देवी उर्फ बालक दासी पुत्री चरण दास पुत्र भाउ दुरुस्त करने बारे कोई भी उजर / एतराज हो तो वह इश्तहार प्रकाशन के एक माह के भीतर अदालत हजा में असालतन / वकालतन हाजिर होकर अपना उजर / एतराज प्रस्तुत कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर / एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार नाम दुरुस्ती करने बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत हजा से आज दिनांक 25–08–2025 को जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
रामपुर, जिला शिमला (हि0प्र0)।

————————

**ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दणाडाधिकारी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश**

| मुकद्दमा संख्या : | तारीख दायर : | किस्म दुरुस्ती : |
|---|---|---|
| 79 / 2025 | 30–07–2025 | दुरुस्ती इन्द्राज |

मुकद्दमा शीर्षक : श्रीमती सुनीला जरेट पत्नी स्व0 पूर्ण सुख जरेट, निवासी गांव शथला, डाकघर वीरगड, उप–तहसील कोटगढ़, जिला शिमला (हि0प्र0) .. वादिया।

बनाम

आम जनता .. प्रतिवादी।

विषय.––राजस्व माल कागजात में हि0प्र0 भू–राजस्व अधिनियम, 1954 की जेर धारा 37 के तहत दुरुस्ती इन्द्राज बारे।

श्रीमती सुनीला जरेट पत्नी स्व0 पूर्ण सुख जरेट, निवासी गांव शथला, डाकघर वीरगड, उप–तहसील कोटगढ़, जिला शिमला (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में आवेदन–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादिया का नाम राजस्व माल कागजात मोहाल दतनगर में स्नेह लता विधवा पुरन चन्द पुत्र कौल राम दर्ज है, जोकि गलत दर्ज हुआ है वादिया का वास्तविक मुताबिक नाम पंचायत रिकार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, नकल परिवार रजिस्टर एवं बैंक पास बुक के अनुसार सुनिला पत्नी पूरन चन्द है। वादिया राजस्व कागजात मौजा दतनगर में अपना नाम दुरुस्त करवाना चाहती है।

उपरोक्त तथ्यों की मौका छानबीन क्षेत्रीय कानूनगो कुमसू से की गई। मुताबिक मौका छानबीन क्षेत्रीय इकाइयों के पाया कि सालयक का नाम वका चक दतनगर में अराजी खाता / खतौनी नं0 84 / 312, ता 314 में स्नेह लता विधवा पुरन चन्द पुत्र कौल राम बतौर भूमि मालिका दर्ज कागजात माल है। आवेदिका का सही नाम सुनीला पत्नी स्व0 पुरन चन्द है। ब्यानात स्थानीय वाशिन्दगान देह व ब्यान वार्ड पंच, वार्ड नं0 4 ग्राम पंचायत दतनगर व प्रार्थिया द्वारा संलग्न शपथ–पत्र, आधार कार्ड व नकल परिवार आदि के अवलोकन से पाया कि आवेदिका का नाम सुनीला पत्नी स्व0 पुरन चन्द है जो सही प्रतीत होता है जिसका राजस्व कागजात में दुरुस्त किया जाना वाजिब है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण व सम्बन्धित रिश्तेदारों को यदि वादिया का नाम राजस्व कागजात मौजा दतनगर में स्नेह लता विधवा पुरन चन्द पुत्र कौल राम के स्थान पर सुनीला जरेट उर्फ स्नेह लता विधवा पुरन चन्द पुत्र कौल राम दुरुस्त करने बारे कोई भी उजर / एतराज हो तो वह इश्तहार प्रकाशन के एक माह के भीतर अदालत हजा में असालतन / वकालतन हाजिर होकर अपना उजर / एतराज प्रस्तुत कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर / एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार नाम दुरुस्ती करने बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत हजा से आज दिनांक 08–08–2025 को जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
रामपुर, जिला शिमला (हि0प्र0)।

**ब अदालत श्री कुश कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी नेरुवा, जिला शिमला (हि0 प्र0)**

श्री ध्यान सिंह पुत्र श्री मिथन सिंह, ग्राम निवासी दरभाड, डाकघर ईड़ा, तहसील नेरुवा, जिला शिमला (हि0 प्र0) ..... प्रार्थी।

बनाम

आम जनता ..... प्रत्यार्थी

विषय.––13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म पंजीकरण करने बारे।

प्रार्थी श्री ध्यान सिंह पुत्र श्री मिथन सिंह, ग्राम निवासी दरभाड, डाकघर ईड़ा, तहसील नेरुवा, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका जन्म पंजीकरण ग्राम पंचायत खून्द नेवल के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाया है तथा प्रार्थी अब अपना पंजीकरण ग्राम पंचायत खून्द नेवल के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहता है। जोकि इस प्रकार से है :–

| क्रम संख्या | नाम | सम्बन्ध | जन्म तारीख |
|---|---|---|---|
| 1. | ध्यान सिंह | स्वयं | 16–06–1968 |

अतः आम जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई आपत्ति हो तो वह इस इश्तहार के प्रकाशन से 30 दिनों के भीतर किसी भी कार्य दिवस पर प्रातः 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत करे अन्यथा सचिव, ग्राम पंचायत खून्द नेवल को उपरोक्त नाम व जन्म तिथि सम्बन्धित ग्राम पंचायत के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करने बारे आदेश जारी कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 25–08–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
(कुश कुमार),
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
नेरुवा, जिला शिमला (हि0प्र0)।

––––––––––

**ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी रोहडू, तहसील रोहडू,
जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश**

मिसल संख्या : 07 / 2025 तारीख मरजुआ : 08–01–2025 तारीख फैसला 28–07–2025

श्रीमती शारदा देवी पुत्री स्व0 श्री बिन्दर लाल, गांव दली, उप–तहसील जांगला, जिला शिमला (हि0प्र0) ..... प्रार्थिया।

बनाम

1. नरेन्द्र सिंह, 2. शाम लाल पुत्रगण स्व0 श्री रायपुर, गांव जुनीधार, तहसील रोहडू, जिला शिमला (हि0प्र0), 3. श्रीमती धन्तरू पत्नी स्व0 श्री रायपुर, गांव जुनीधार, तहसील रोहडू, जिला शिमला (हि0प्र0),

4. पुष्पा देवी, 5. गुड्डी देवी पुत्रियां व, 6. पार्वती पत्नी श्री विटु, निवासीगण गांव जुनीधार, तहसील रोहडू, जिला शिमला (हि0प्र0), 7. बिला चन्द पुत्र श्री अमर सुख, गांव जुनीधार, तहसील रोहडू, जिला शिमला (हि0प्र0), 8. बिमला देवी पत्नी स्व0 श्री जगदीश सिंह, गांव जुनीधार, तहसील रोहडू, जिला शिमला (हि0प्र0), 9. सुरेश कुमार पुत्र व, 10. श्रीमती गंगोत्री देवी, 11. श्रीमती सीता देवी पुत्रियां श्री जय सिंह, गांव जुनीधार, तहसील रोहडू, जिला शिमला (हि0प्र0), 12. अभय पुत्र, 13. आंचल पुत्री व, 14. श्रीमती कौशल्या पत्नी स्व0 श्री राजेश, गांव जुनीधार, तहसील रोहडू, जिला शिमला (हि0प्र0), 15. राम लाल पुत्र श्री अमर सुख, गांव जुनीधार, तहसील रोहडू, जिला शिमला (हि0प्र0) ..... प्रत्यार्थी।

उनवान मुकद्दमा.—दरख्वास्त जेर धारा 123 हि0प्र0 भू—राजस्व अधिनियम, 1954 बाबत करने मुशतर्का खाता तकसीम भूमि खाता नं0 109, खतौनी नं0 231, खसरा नम्बरान 879, 880, रकबा 00—77—12 है0 व खाता नं0 110, खतौनी नं0 232, खसरा नम्बरान 875, 873, 874, 876, 888, कित्ता 05, रकबा 00—96—11 है0 खोडसू, तहसील रोहडू, जिला शिमला (हि0प्र0)।

प्रार्थिया श्रीमती शारदा देवी पुत्री स्व0 श्री बिन्दर लाल, गांव दली, उप—तहसील जांगला, जिला शिमला (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना—पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि चक खोडसू खाता नं0 109, खतौनी नं0 231, खसरा नम्बरान 879, 880, रकबा 00—77—12 है0 व खाता नं0 110, खतौनी नं0 232, खसरा नम्बरान 875, 873, 874, 876, 888, कित्ता 05, रकबा 00—96—11 है0 मुशतर्का खाता तकसीम करने बारे आग्रह किया है।

इस कार्यालय द्वारा प्रत्यार्थी संख्या 15 राम लाल पुत्र श्री अमर सुख, गांव जुनीधार, तहसील रोहडू, जिला शिमला (हि0प्र0) को समन जारी किया गया, जोकि फौत होना पाया गया तथा जिसके जायज वारसान के सम्बन्ध कोई जानकारी पटवारी तथा ग्राम पंचायत कुटाडा से प्राप्त नहीं हुई है।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि अगर राम लाल के जायज वारसान के बारे में किसी व्यक्ति विशेष को कोई जानकारी हो या व्यक्ति से सम्बन्ध रखता हो तो असालतन या वकालतन इस अदालत में इश्तहार छपने की तिथि से 30 दिन के उपरान्त हाजिर होकर या लिखित रूप से अपना दावा पेश कर सकता है अन्यथा एतराज पेश न होने की सूरत में आम जनता के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 11—08—2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / —
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
तहसील रोहडू, जिला शिमला (हि0प्र0)।

————————

**In the Court of Shri Manjeet Sharma, Sub-Divisional Magistrate, Shimla (R), District Shimla (H. P.)**

Sh. Ram Lal s/o Sh. Saran Dass, r/o Village Jholo, P.O. Poabo, Tehsil & Distt. Shimla (H.P.).

*Versus*

General Public . . *Respondent.*

Whereas, Sh. Ram Lal s/o Sh. Saran Dass, r/o Village Jholo, P.O. Poabo, Tehsil & Distt. Shimla (H.P.) has submitted an application alongwith Non-Availability Certificate issued by the

Registrar Birth & Death Gram Panchayat Dumi, Shimla (H.P.) in the court of undersigned under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 to enter the date of birth of himself Ram Lal as 11-03-1982 in the record of Registrar, Birth and Death in Gram Panchayat Dumi, Shimla (H.P.) details are as under :

| Sl. No. | Name of the family member | Relation | Date of Birth |
|---|---|---|---|
| 1. | Ram Lal | Self | 11-03-1982 |

Hence, this proclamation is issued to the general public with directions that if any one has objection/claim regarding entry of date of birth of above named person in the record of Registrar, Birth and Death, Gram Panchayat Dumi, Shimla (H.P.) he/she may file their claims/objections in this court on or before one month of publication of this notice in Govt. Gazette, failing which necessary orders will be passed.

Issued today on 29-08-2025 under my signature and seal of the court.

Seal. Sd/-

*Sub-Divisional Magistrate,*
*Shimla (R), District Shimla (H.P.).*

---

**In the Court of Sub-Divisional Magistrate-**cum-**Marriage Officer, Kasauli, District Solan (H.P.)**

1. Sh. Subhash Chand aged 59 years, D.O.B. 24-03-1966 s/o Shri Tula Ram, r/o Village Chhatera, P.O. Kanda, Tehsil Kasauli, Distt. Solan (H.P.).

2. Smt. Kunta Devi aged 58 years, D.O.B. 24-10-1966, r/o Village Chhatera, P.O. Kanda, Tehsil Kasauli, Distt. Solan (H.P.).

*Versus*

General Public

*Notice u/s 15 of the Special Marriage Act, 1954.*

An application under section 15 of the Special Marriage Act, 1954 has been received in this court from Sh. Subhash Chand aged 59 years, D.O.B. 24-03-1966 s/o Shri Tula Ram, r/o Village Chhatera, P.O. Kanda, Tehsil Kasauli, Distt. Solan (H.P.) (Bridegroom) and Smt. Kunta Devi aged 58 years, D.O.B. 24-10-1966, r/o Village Chhatera, P.O. Kanda, Tehsil Kasauli, Distt. Solan (H.P.) for the registration of their marriage u/s 15 of the Special Marriage Act, 1954. The applicants have further declared in their affidavits dated 01-07-2025 that their marriage was solemnized on 21-04-1987 with each other as such they have applied for registration of their marriage before taking further action in the said application, objections from the general public are invited for the registration of this marriage. The objections in this regard may be preferred in this court on or before 19-09-2025, failing which the marriage shall be got registered as per the provisions of the law.

Issued on 19-08-2025 my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-
(MAHENDER PARTAP SINGH, HAS),
*Marriage Officer*-cum-*Sub-Divisional Magistrate,*
*Kasauli, District Solan (H. P.).*

---

**In the Court of Sub-Divisional Magistrate-**cum-**Marriage Officer, Kasauli, District Solan (H.P.)**

1. Sh. Lalit Kumar aged 23 years, D.O.B. 28-11-2001, r/o Village Tipra, P.O. Parwanoo, Tehsil Kasauli, Distt. Solan (H.P.).

2. Ms. Geeta Rai aged 24 years, D.O.B. 09-07-2001, r/o No. 06, Tagra Road, Near Blbharti, Tehsil Kalka, Distt. Panchkula (H.R.).

*Versus*

General Public

*Notice u/s 15 of the Special Marriage Act, 1954.*

An application under section 15 of the Special Marriage Act, 1954 has been received in this court from Sh. Lalit Kumar aged 23 years D.O.B. 28-11-2001, r/o Village Tipra, P.O. Parwanoo, Tehsil Kasauli, Distt. Solan (H.P.) (Bridegroom) and Ms. Geeta Rai aged 24 years D.O.B. 09-07-2001, r/o No. 06, Tagra Road, Near Blbharti, Tehsil Kalka, Distt. Panchkula (H.R.) for the registration of their marriage u/s 15 of the Special Marriage Act, 1954. The applicants have further declared in their affidavits dated 01-07-2025 that their marriage was solemnized on 11-12-2023 with each other as such they have applied for registration of their marriage before taking further action in the said application, objections from the general public are invited for the registration of this marriage. The objections in this regard may be preferred in this court on or before 19-09-2025, failing which the marriage shall be got registered as per the provisions of the law.

Issued on 19-08-2025 my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-
(MAHENDER PARTAP SINGH, HAS),
*Marriage Officer*-cum-*Sub-Divisional Magistrate,*
*Kasauli, District Solan (H. P.).*

---

**In the Court of Sub-Divisional Magistrate-**cum-**Marriage Officer, Kasauli, District Solan (H.P.)**

1. Sh. Hans Raj aged 40 years, D.O.B. 03-03-1985 s/o Sh. Dala Ram, r/o Village Jubber, P.O. Chamian, Tehsil Kasauli, Distt. Solan (H.P.).

2. Ms. Uma Devi aged 30 years, D.O.B. 04-03-1995 d/o Sh. Prakash Chand, r/o Village Danwali, P.O. Badhonighat, Sub-Tehsil Krishangarh, Distt. Solan (H.P.).

*Versus*

General Public

*Notice u/s 15 of the Special Marriage Act, 1954.*

An application under section 15 of the Special Marriage Act, 1954 has been received in this court from Sh. Hans Raj aged 40 years, D.O.B. 03-03-1985 s/o Sh. Dala Ram, r/o Village Jubber, P.O. Chamian, Tehsil Kasauli, Distt. Solan (H.P.) (Bridegroom) and Ms. Uma Devi aged 30 years, D.O.B. 04-03-1995 d/o Sh. Prakash Chand, r/o Village Danwali, P.O. Badhonighat, Sub-Tehsil Krishangarh, Distt. Solan (H.P.) for the registration of their marriage u/s 15 of the Special Marriage Act, 1954. The applicants have further declared in their affidavits dated 13-08-2025 that their marriage was solemnized on 10-08-2024 with each other as such they have applied for registration of their marriage before taking further action in the said application, objections from the general public are invited for the registration of this marriage. The objections in this regard may be preferred in this court on or before 19-09-2025, failing which the marriage shall be got registered as per the provisions of the law.

Issued on 19-02-2025 my hand and seal of the court.

Seal. Sd/-
(MAHENDER PARTAP SINGH, HAS),
*Marriage Officer*-cum-*Sub-Divisional Magistrate, Kasauli, District Solan (H. P.).*

---

**Office of the Sub-Divisional Magistrate, Arki, District Solan (H. P.)**

| Case No. | Date of Institution | Date of Decision |
|---|---|---|
| 33/2025 | 21-08-2025 | 20-09-2025 |

Smt. Bimta Devi d/o Sh. Mast Ram, r/o Village Patta, P.O. Jainagar, Tehsil Arki, District Solan, Himachal Pradesh . . *Applicant*.

*Versus*

General Public . . *Respondent.*

*Regarding delayed registration of birth event under section 13(3) of the Birth and Death Registration Act, 1969.*

Proclamation

Smt. Bimta Devi d/o Sh. Mast Ram, r/o Village Patta, P.O. Jainagar, Tehsil Arki, District Solan, Himachal Pradesh has filed a case under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 alongwith affidavits and other documents stating therein that she was born on 01-07-1955 at Village Patta, P.O. Jainagar, Tehsil Arki, but her birth has not been entered in the records of Gram Panchayat Materni, Tehsil Arki, District Solan (H.P.) as per the Non-availability Certificate No. 10 issued by the Registrar, Birth and Death Registration, G.P. Materni, Tehsil Arki.

Therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for registration of delayed birth event of Smt. Bimta Devi, may submit their objections in writing in this office on or before 20-09-2025 at 10.00 A.M. failing which no objection will be entertained after date of hearing.

Given under my hand and seal of this office on this 21st day of August, 2025.

Seal. Sd/-
*Sub-Divisional Magistrate,*
*Arki, District Solan (H.P.).*

---

**In the Court of Sh. Sanjeet Singh, HPAS, Marriage Officer-**cum**-Sub-Divisional Magistrate, Hamirpur, District Hamirpur (H.P.)**

In the matter of :

1. Arun s/o Sh. Anakpal, r/o V.P.O. Chandokha, Tehsil Shajahanpur, U.P., at present c/o Sh. Ashwani Kumar, r/o Village Dulehra, P.O., Tehsil & District Hamirpur (H.P.).

2. Priyanka d/o Sh. Kumar Pal c/o Sh. Julfi Ram, House No. 82, Partap Nagar Hamirpur, Tehsil & District Hamirpur, H.P. . .*Applicant.*

*Versus*

General Public

*Subject.— Notice for Registration of Marriage.*

Sh. Arun and Smt. Priyanka have filed an application u/s 5 of Special Marriages Act, 1954 alongwith supporting affidavits and documents before the Court of undersigned in which they have stated that they intend to solemnize their marriage within next three calendar months.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that if any person having any objections regarding this marriage may file his/her objections personally or in writing before this court on or before 04-09-2025. In case no objection is received by 04-09-2025 it will be presumed that there is no objection to the registration of the above said marriage and the same will be registered accordingly.

Issued under my hand and seal of the court on 21-08-2025.

Seal. Sd/-

*Marriage Officer*-cum-*SDM,*
*Sub-Division Hamirpur, District Hamirpur (H.P.).*

---

## CHANGE OF NAME

I, Bhota Devi w/o Sh. Pratap Singh, r/o H. No. 43, Ward No. 5, Tika Gamru, P.O. and Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.) declare that in my Aadhar Card my name is entered as Radha Devi, which is incorrect. That my correct name is Bhota Devi. Concerned note.

BHOTA DEVI
*w/o Sh. Pratap Singh,*
*r/o H. No. 43, Ward No. 5, Tika Gamru,*
*P.O. and Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.).*

---

## CORRECTION OF NAME

I, Rajinder Dutt Aadhar No. 8022 7005 8152, s/o Sh. Hari Nand, r/o Village Kamahan Banjan, P.O. Gagal Shikor, Tehsil Pachhad, District Sirmaur (H.P.) declare that in my Aadhar Card my name is wrongly recorded as Rajender which is required to be corrected as Rajinder Dutt. All concerned please note.

RAJINDER DUTT
*s/o Sh. Hari Nand,*
*r/o Village Kamahan Banjan, P.O. Gagal Shikor,*
*Tehsil Pachhad, District Sirmaur (H.P.).*

---

## CHANGE OF NAME

I, Yashita Rana d/o Sh. Anil Kumar, r/o V.P.O. Jagrup Nagar, Sub-Tehsil Alampur, District Kangra (H.P.) declare that I have changed my name from Yashita d/o Anil to Yashita Rana d/o Anil Kumar for all purposes in future. Please note.

YASHITA RANA
*d/o Sh. Anil Kumar,*
*r/o V.P.O. Jagrup Nagar,*
*Sub-Tehsil Alampur, District Kangra (H.P.).*

## CORRECTION OF NAME

I, Akshay Thakur s/o Sh. Ajay Singh Thakur, r/o Village Bhatu Palam, P.O. Pharer, Tehsil Palampur, District Kangra (H.P.) declare that in various records my name is entered as follows Akshay Ajay Singh Thakur, Thakur Akshay Ajay Singh & Akshay Ajay Thakur. That my name should be corrected as Akshay Thakur in all records. All concerned note it.

AKSHAY THAKUR
*s/o Sh. Ajay Singh Thakur,*
*r/o Village Bhatu Palam, P.O. Pharer,*
*Tehsil Palampur, District Kangra (H.P.).*

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला–5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित
इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है।